"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]		रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2006—ज्येष्ठ 19, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2006

क्रमांक एफ 2-6/2006/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय के निम्नलिखित अवर सचिव को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उप सचिव के पद पर वेतनमान रुपये 12000-375-16500/- में पदोन्नत किया जाता है :—

क्रमांक (1)	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री व्ही. के. राय, स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग.	सामान्य प्रशासन विभाग

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री वाय. एस. बेले, आ.जा. एवं अनु. जा. विकास विभाग.	उच्च शिक्षा विभाग

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आवंटित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के कारण पद उपलब्ध न होने पर अंतिम पदोन्नत कनिष्ठ व्यक्ति पदावनत होंगे.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2006

क्रमांक एफ 2-6/2006/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अवर सचिव के पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15200/- में पदोन्नत किया जाता है :—

क्रमांक (1)	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री बी. रामेश्वर राव, ग्रामोद्योग विभाग.	सामान्य प्रशासन विभाग
2.	श्री सुधाकर सोनवाने, सामान्य प्रशासन विभाग (अभिलेख).	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3.	श्री एस. के. चौधरी, राजभवन सचिवालय.	राजभवन सचिवालय
4.	श्री मोहन सिंह ठाकुर, पर्यटन विभाग.	आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग
5.	श्री ए. आर. दीवान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	वित्त एवं योजना विभाग

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. श्री आर. पी. वर्मा, अवर सचिव, राजभवन सचिवालय की सेवायें राजभवन सचिवालय से वापस लेते हुए अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आवंटित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के कारण पद उपलब्ध न होने पर अंतिम पदोन्नत कनिष्ठ व्यक्ति पदावनत होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2006

क्रमांक ई-7/37/2004/1/2.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से., कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 22-5-2006 से 31-5-2006 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 मई, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री श्रीवास्तव के उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती ऋतु सेन, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, बस्तर का चालू कार्य संपादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2006

क्रमांक ई-7/17/2004/1/2.—श्री एस. व्ही. प्रभात, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 15-5-2006 से 14-7-2006 तक (61 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13, 14 मई एवं 15, 16 जुलाई, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रभात, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभात, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री प्रभात के उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती निहारिका बारिक, अपर आवासीय आयुक्त, आपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का कार्य सम्पादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 12 मई 2006

क्रमांक ई-7/28/2004/1/2.—श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 22-5-2006 से 3-6-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20, 21-5-2006 एवं 4-6-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जैन, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2006

क्रमांक 352/293/2006/1-8/स्था.—श्री अनुराग लाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 15-5-2006 से 9-6-2006 तक 26 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा टोरंटो (कनाडा) विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लाल को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणितं किया जाता है कि श्री लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक 355/820/2006/1-8/स्था.—श्री के. एल. साहू, मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 8-5-2006 से 27-5-2006 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 7 एवं 28-5-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री साहू के अवकाश अवधि में श्री एन. एल. वर्मा, लेखाधिकारी अपने कार्य के साथ-साथ इनका कार्य भी संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री के. एल. साहू, मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एल. साहू, अवकाश पर नहीं जाते तो, मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2006

क्रमांक 357/383/2006/1-8/स्था.—श्री बी. के. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 7-6-2006 से 14-6-2006 तक 8 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल को अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2006

क्रमांक 359/218/2006/1-8/स्था.—श्री प्रेम कुमार (भावसे) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 6-3-2006 से 27-3-2006 तक 22 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रेम कुमार को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रेम कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2006

क्रमांक 373/407/2006/1-8/स्था.—श्री जे. मिंज, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 15-5-2006 से 19-5-2006 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री जे. मिंज, अतिरिक्त सचिव के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री जे. मिंज को अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2006

क्रमांक 379/211/2006/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 8-5-2006 से 12-5-2006 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दाण्डे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक 380/285/2006/1-8/स्था.—श्री एन. के. शुक्ला (राप्रसे) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 2-5-2006 से 12-5-2006 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13 एवं 14-5-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शुक्ला को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक 382/291/2006/1-8/स्था.—श्री जी. डी. गुप्ता, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 8-5-2006 से 19-5-2006 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर, पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक 384/404/2006/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 15-5-2006 से 27-5-2006 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर, पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम, 2006

क्रमांक /डी-3741/25-2/आजाक/2006.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति ग्रामों एवं नगरीय अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :—**

1.1 ये नियम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति बस्ती विकास नियम, 2006 कहे जावेंगे.

1.2 इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1.3 ये नियम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

1.4 छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन नियमों के अनुसार किया जावेगा.

2. **योजना का उद्देश्य :—**

अनुसूचित जाति ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जवाहर रोजगार योजना के तहत मांग संख्या - 64 में प्रावधानित राशि (विशेष घटक योजनांतर्गत प्रावधानित राशि) का उपयोग किया जाता है. जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन रहते हुए क्रियान्वित की जाती है, जिससे अनुसूचित जाति ग्रामों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति इस योजना में प्रावधानित राशि से नहीं हो पाती है. इसी प्रकार शहरी अनुसूचित जाति बस्तियों में गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार एवं झुग्गी-झोपड़ी बस्ती विकास योजनांतर्गत निर्माण कार्य कराये जाते हैं. किन्तु इन योजनाओं के तहत कराये जाने वाले कार्यों के स्वरूप एवं

मापदण्ड भी निर्धारित हैं और इसलिये शहरी अनुसूचित जाति बस्तियों के लिये आवश्यक सभी निर्माण कार्य गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार एवं झुग्गी-झोपड़ी बस्ती सुधार योजनाओं में नहीं हो पाते हैं. शासन के अन्य विभागों द्वारा अनुसूचित जाति ग्रामों एवं शहरी अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से कव्हर न होने वाली इन ग्रामों और बस्तियों की मूलभूत सुविधाओं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये नियम बनाये जा रहे हैं.

3. परिभाषाएं :—

3.1 राज्य शासन से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है.

3.2 "कलेक्टर/जिलाध्यक्ष" से तात्पर्य जिला कलेक्टर से है.

3.3 "जनपद पंचायत" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत गठित जनपद पंचायत से है.

3.4 "ग्राम पंचायत" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत से है.

3.5 "स्थानीय निकाय" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 के तहत गठित नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद् आदि स्थानीय निकायों से है.

3.6 "अनुसूचित जाति" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जातियों से है.

3.7 "अनुसूचित जाति ग्राम" से तात्पर्य ऐसे ग्राम से है जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ग्राम की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक हो.

3.8 "नगरीय अनुसूचित जाति बस्ती" से तात्पर्य ऐसे नगरीय बस्ती से है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति के लोगों की हो.

3.9 "अनुसूचित जाति बस्ती" से तात्पर्य कंडिका 3.7 एवं कंडिका 3.8 को शामिल करते हुए अनुसूचित जाति ग्राम/नगरीय अनुसूचित जाति बस्ती से है.

4. कार्य योजना तैयार करना तथा कार्यों की स्वीकृति :—

4.1 अनुसूचित जाति बाहुल्य विकास बस्तियों के विकास के लिये कार्य योजना तैयार करने, उसके अनुमोदन तथा स्वीकृति प्रदान करने, निर्माण एजेन्सी निर्धारित करने एवं कार्यों की प्रगति न उनका अनुश्रवण कार्य एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा.

4.2 जिले के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे. अन्य दो सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के सांसद/विधायक/जिला पंचायत/सदस्यगण, नगर पालिका/परिषद् के सदस्यगणों में से प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनित होंगे.

4.3 जिला स्तरीय समिति अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/क्षेत्रों में नियम 5.2 में उल्लेखित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर कार्य योजना तैयार करेगी.

4.4 मूलभूत सुविधाएं सर्वप्रथम उन अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/मजरे/टोले/पारे तथा नगरीय बस्तियों में ऐसे वार्ड/मोहल्ले/कालोनी में ली जा सकेगी जिनमें ये सुविधाएं ही नहीं हैं अथवा इनका अभाव है. उदाहरण स्वरूप गाव में जनसंख्या के मान से पेयजल हेतु हैण्डपंप तो हैं परन्तु अनुसूचित जाति ग्राम/मजरे/टोले/पारे तथा नगरीय बस्तियों के ऐसे वार्ड, मोहल्ले, कालोनी में कोई जल स्रोत न हो, सर्वप्रथम इन अनुसूचित जाति पारे/टोले तथा नगरीय बस्तियों में ऐसे वार्ड, मोहल्ले, कालोनी में पेयजल की व्यवस्था के लिए कार्य योजना ली जाए. दूसरे चरण में ग्राम/मजरे/टोले/पारे तथा नगरीय बस्तियों में ऐसे वार्ड, मोहल्ले, कालोनियों में पेयजल व्यवस्था तो है परन्तु जनसंख्या के मान से पर्याप्त नहीं है कार्य लिए जाएं.

4.5 कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करें तथा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य योजना पूर्ण करने की जिम्मेदारी विभाग के जिलाधिकारी की होगी.

4.6 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य योजना का अनुपात 20 व 80 प्रतिशत रहेगा परन्तु जिन जिलों में केवल शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्ड या ग्राम हों तो किसी एक ही क्षेत्र में व्यय किया जायेगा.

4.7 निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने तथा ऐसे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, क्षेत्रों की पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर तथा आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के जिलाधिकारी की होगी.

5. योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की व्यय सीमा :—

5.1 इस योजना के तहत उपरोक्त नियम-4 में उल्लेखित निर्देशों का पालन करते हुए सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई जावेगी.

5.2 अनुदान राशि की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी.

क्र. (1)	मद (2)	अधिकतम लागत (सीमा) (3)
(अ)	**नवीन कार्य**	
1.	हैण्ड पंप की स्थापना	0.65 लाख प्रति हैण्डपंप
2.1	सामुदायिक भवन (1 छोटा हाल+एक कमरा+बरामदा).	2.00 लाख प्रति भवन
2.2	सामुदायिक भवन (1 छोटा हाल+बरामदा)	1.50 लाख प्रति भवन
3.	चबूतरा निर्माण	0.30 लाख प्रति नग
4.	आंतरिक सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण	2.00 लाख प्रति कि.मी.
5.	वृक्षारोपण (गड्ढा खोदना-ट्री गार्ड एवं मजदूरी सहित.)	1.20 लाख प्रति 1000 पौधे
6.	तालाब में घाट पचरी निर्माण	1.00 लाख प्रति इकाई
7.	भवनों में विद्युतीकरण (जहां पूर्व में फिटिंग नहीं है)	0.25 प्रति भवन
(ब)	**मरम्मत कार्य**	
1.	शाला भवन मरम्मत कार्य	
1.1	प्राथमिक शाला	0.25 लाख
1.2	माध्यमिक शाला	0.30 लाख
1.3	हाई स्कूल	0.50 लाख
1.4	हायर सेकेण्डरी स्कूल	0.65 लाख
2.	छात्रावास मरम्मत कार्य	0.65 लाख
3.	आश्रम मरम्मत कार्य	0.75 लाख
4.	खेल-कूद मैदान मरम्मत कार्य	0.20 लाख
5.	मार्ग मरम्मत कार्य	0.10 लाख
6.	हैण्ड पंप मरम्मत	0.10 लाख
7.	ट्यूबवेल पाईप लाईन मरम्मत	0.10 लाख
8.	घाट/पचरी मरम्मत	0.10 लाख

5.3 विशेष परिस्थितियों में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री की सलाह पर आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधिकतम सीमा से अधिक धनराशि व्यय करने की अनुमति दे सकेंगे.

6. **स्थान एवं कार्य चयन हेतु प्राथमिकतायें :—**

6.1 यदि उपलब्ध धनराशि इस योजना के तहत स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों की मांग से कम है, तो प्राथमिकता ऐसे ग्रामों को दी जावेगी जिनकी कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या अधिक है अर्थात् 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ग्रामों में भी उन ग्रामों में पहले कार्य कराये जायेंगे जिनकी कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या अधिक है.

6.2 नगरीय अनुसूचित जाति बस्तियों में प्राथमिकता उन बस्तियों को दी जायेगी जिनमें अस्वच्छ धंधों में कार्यरत लोग यथा भंगी, मेहतर, मोची आदि रहते हों.

6.3 कार्यों का प्राथमिकता क्रम वही रहेगा जो नियम 5 में दिया गया है.

7. **प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार :—**

7.1 नियम 5 में उल्लेखित अधिकतम सीमा तक जिले के कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी जावेगी. यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण अधिकतम सीमा से अधिक राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता हो तो नियम 5.3 के अनुसार आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास से पूर्व अनुमति प्राप्त कर कलेक्टर प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर सकेंगे.

8. **तकनीकी स्वीकृति के अधिकार :—**

8.1 इस योजना के तहत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्माण कार्यों का निष्पादन ठीक उसी प्रकार किया जावेगा जिस प्रकार जवाहर रोजगार योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाता है.

9. **निर्माण कार्यों का निष्पादन :—**

9.1 अनुसूचित जाति ग्रामों में इस योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन ठीक उसी प्रकार किया जावेगा जिस प्रकार जवाहर रोजगार योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाता है.

9.2 नगरीय अनुसूचित जाति बस्तियों के निर्माण कार्यों का निष्पादन स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जावेगा.

9.3 अनुसूचित जाति ग्रामों में कराये जाने वाले कार्यों के लिये यथा संभव वे सभी नियम लागू होंगे जो जवाहर रोजगार योजना के लिये लागू हैं और नगरीय अनुसूचित जाति बस्तियों में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में स्थानीय निकायों में प्रचलित नियम लागू होंगे.

10. **आवंटन का प्रदाय :—**

10.1 जिलों को राशि आवंटन का आधार जिले के अनुसूचित जाति जनसंख्या (विगत जनगणना अनुसार) होगी. जिला स्तर पर विकास खण्डों में अ.जा. जनसंख्या के अनुपात में कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की जावेगी.

10.2 नगरीय अनुसूचित जाति बस्तियों में इस योजना के तहत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु आवंटन स्थानीय निकायों को नगरीय कल्याण विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा.

10.3 ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराने के पूर्व उनसे परिशिष्ट-3 में उल्लेखित प्रारूप में एक करार निष्पादित कराया जावेगा. यदि जवाहर रोजगार योजना/गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार योजना को धनराशि उपलब्ध कराने के लिये करार के प्रारूप पूर्व से ही निर्धारित हो तो इस योजना हेतु भी उन निर्धारित प्रारूपों का क्रमशः ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों हेतु उपयोग किया जा सकेगा.

10.4 कार्य पूर्णता एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यदि किसी ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय ने उसे पूर्व वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोग करार की शर्तों के अनुसार नहीं किया है तो उसे आगामी वर्ष में नये कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृति नहीं की जावेगी.

11. कार्य पूर्णता एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र :—

11.1 इस योजना के तहत अनुसूचित जाति ग्रामों के लिये स्वीकृत कार्यों का कार्य पूर्णता तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित विकास खण्ड अधिकारी द्वारा और नगरीय अनुसूचित जाति बस्तियों के लिये स्वीकृत निर्माण कार्यों के कार्य पूर्णता एवं धनराशि उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्थानीय निकाय के नगर पालिका निगम आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे.

11.2 निर्माण कार्य उसी वित्त वर्ष में पूर्ण कराने आवश्यक होंगे जिस वर्ष में वे स्वीकृत किये गये हैं. विशेष परिस्थिति में कलेक्टर कार्य पूर्ण होने की अवधि में वृद्धि कर सकेंगे, किन्तु कार्य अवधि में वृद्धि करते समय निर्माण लागत बढ़ने के कारण अतिरिक्त धनराशि कदापि स्वीकृत नहीं की जावेगी.

12. योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का लेखा :—

12.1 नगरीय कल्याण, संचालनालय, छत्तीसगढ़ गंदी बस्ती निर्मूलन मंडल एवं जिला कलेक्टर के कार्यालय में इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों हेतु एक पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें कार्य के संबंध में समस्त प्रविष्टियां अंकित की जायेंगी.

13. योजनांतर्गत निर्मित कार्यों का हस्तांतरण एवं रख-रखाव :—

13.1 इस योजना के तहत निर्मित किये जाने वाले निर्माण कार्यों का रख-रखाव ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को करना होगा.

14. कार्यों का निरीक्षण :—

14.1 इस योजना के तहत स्वीकृत किये गये कार्यों का निरीक्षण विभाग के राज्य तथा जिला स्तरीय अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा.

15. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :—

15.1 इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु विभाग के राज्य मुख्यालय अथवा जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह कार्य की गुणवत्ता, भौतिक प्रगति एवं मूल्यांकन संबंधी जानकारी एकत्र कर सके. कार्य कराने वाली एजेन्सी (ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय आदि) इन अधिकारियों की टीप पर समुचित ध्यान देकर निर्माण कार्य पूर्ण करावेंगे.

15.2 आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था, रायपुर द्वारा समय-समय पर योजना का मूल्यांकन किया जावेगा.

16. अनुसूचित जाति बस्ती हेतु योजनाएं तैयार करना :—

16.1 अनुसूचित ग्रामों के लिये जिला कलेक्टर एक शैल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार करवा लेंगे ताकि प्रतिवर्ष धनराशि उपलब्ध होने पर उसका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता रहे. अनुसूचित ग्रामों की सूची आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी. नगरीय अनुसूचित बस्तियों के लिये स्थानीय निकाय योजनाएं तैयार करेंगे. नगरीय अनुसूचित बस्तियों का सर्वेक्षण आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास द्वारा कराया जावेगा.

17. एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति बस्ती सघन विकास नियम 1989 निरस्त किये जाते हैं. जो कार्य 1989 के निरसन नियमों के अधीन प्रारंभ किये गये, उन्हें उन्हीं नियमों के अनुसार पूर्ण किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राउत, सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक/1615/बी-14/17/2002/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा ''सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म'' केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्था (SAMETI) हेतु निम्नानुसार ''जनरल कौंशिल एवं एक्जीक्यूटिव्ह कौंशिल'' का गठन करती है :—

(अ) जनरल कौंसिल

1. कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
2. सचिव, कृषि, छ.ग. शासन, कृषि विभाग, रायपुर	सदस्य
3. संचालक अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
4. संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय, छ.ग. रायपुर	सदस्य
5. संचालक, मत्स्योद्योग संचालनालय, छ.ग. रायपुर	सदस्य
6. संचालक, रेशम उद्योग संचालनालय, छ.ग. रायपुर	सदस्य
7. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	सदस्य
8. संचालक, विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
9. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
10. अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
11. संचालक, राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्था	सदस्य
12. तकनीकी अधिकारी, व्ही. आई.पी.एम.सी.	सदस्य
13. संचालक कृषि, संचालनालय, छ.ग. रायपुर	सदस्य सचिव

(ब) एक्जीक्यूटिव्ह कौंसिल

1. संचालक, कृषि	अध्यक्ष
2. संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें	सदस्य
3. संचालक, मत्स्योद्योग	सदस्य
4. संचालक, रेशम उद्योग	सदस्य
5. संचालक, विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
6. संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
7. उप सचिव, कृषि	सदस्य
8. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
9. संचालक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य सचिव

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक/1889/पौ. सं./कृषि/2001/14-2.—कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का सं. 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, राज्य के समस्त "कीटनाशी निरीक्षकों" एवं समस्त थाना प्रभारियों को उनकी अधिकारिता क्षेत्रों में कीटनाशी रसायनों के उपयोग के दौरान हुई विषाक्तता की समस्त दुर्घटनाओं की सूचना देने हेतु अधिकृत करती है.

समस्त थाना प्रभारी एवं कीटनाशी निरीक्षक अपने अधिकारिता क्षेत्र में हुई विषाक्तता की समस्त घटनाओं की जानकारी आवश्यक रूप से जिला अनुज्ञापन अधिकारी (जिले के उप संचालक कृषि) एवं राज्य अनुज्ञापन अधिकारी (अपर संचालक कृषि) को मासिक आधार पर उपलब्ध करायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2006

क्रमांक-एफ 9-107/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-107/32/2005 दिनांक 8-2-2006 द्वारा ग्राम बरबसपुर, कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना कोरबा के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बरबसपुर	373 (भाग)	7.0 एकड़ में से 2.23 एकड़	कृषि	आवासीय
		योग	2.23 एकड़		

सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः राज्य शासन एतद्‌द्वारा ग्राम बरबसपुर, कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण बरबसपुर (कोरबा) विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक 1836/1612/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मैसर्स रायपुर एलायस एंड स्टील लिमिटेड रायपुर के बायलर क्रमांक-सी. जी./91 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 9-5-2006 से दिनांक 8-6-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकर राव ब्राहम्णे उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2006

क्रमांक एफ-9-32/दो/गृह/06.—कृषि विभाग के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "ल. १-प्रथम (पुस्तकों सहित) द्वितीय प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)" विषय

में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री भीमराव घोड़ेसवार	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर
2.	श्री सुधीर कुमार दादौरिया	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2006

क्रमांक एफ-9-24/दो/गृह/06.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के), लेखा द्वितीय (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती यज्ञसेनी साहू	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.	निम्नस्तर
2.	श्रीमती कुसुम कान्ता एक्का	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी.	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 19 मई 2006

क्रमांक एफ-9-1/दो/गृह/06.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित), द्वितीय प्रश्न दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती फरिहा आलम सिद्दीकी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	कु. गीता शुक्ला	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर.

परीक्षा केन्द्र रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री सुधांशु सक्सेना	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में निम्नस्तर.
4.	श्री प्रकाश कुमार टंडन	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर.
5.	श्री बनसिंह नेताम	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर.
6.	श्री कमलप्रीत सिंह	नगर निगम आयुक्त	प्रथम में सश्रेय

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र ग्वालियर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)
1.	श्री अन्बलगन पी.	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर

परीक्षा केन्द्र रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर
3.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर
4.	श्री शैलेन्द्र कुमार बढ़ौनियां	नायब तहसीलदार	प्रथम में सश्रेय
5.	कु. तुलिका प्रजापति	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
6.	कु. प्रियंका थवाईत	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्रीमती जयश्री जैन	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय
8.	श्री महेश सिंह राजपूत	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
9.	कु. पद्मिनी भोई	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर
10.	कु. रोक्तिमा राय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर
11.	कु. सन्तन देवी जांगड़े	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर
12.	श्री अमित कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
13.	श्री जागेश्वर कुमार कौशल	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
14.	श्री विकास माहेश्वरी	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
15.	श्रीमती पूनम शर्मा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
16.	कु. गीता रायस्त	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2006

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 11-15/2003/16.—श्रम विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-15/2003/16 दिनांक 12-1-2004 (नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड दगोरी जिला बिलासपुर विरुद्ध अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एवं इस्पात श्रमिक संघ अमेरी अकबरी दगोरी जिला बिलासपुर) द्वारा पारित आदेश के अनुसूची "क्या 4 वर्ष पूर्व 81 ठेका श्रमिकों का किया गया सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक पक्ष को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये ?" में संलग्न परिशिष्ट "अ" जोड़ा जाता है.

परिशिष्ट "अ"

नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड दगोरी जिला बिलासपुर द्वारा 81 ठेका श्रमिकों को निकाले गये मजदूरों की सूची

क्रमांक	श्रमिकों का नाम	पिता का नाम	विभाग	नियुक्ति का दिनांक	काम से निकालने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री रामाधार डहरिया	पहार सिंह डहरिया	आर.एम.पी. (मैके.)	19-11-94	23-7-97
2.	रमेश कुमार लहरे	अवध राम लहरे	—"—	29-11-94	23-7-97
3.	परदेशी राम साहू	चैतराम साहू	डिस्पेच	01-11-95	29-06-97
4.	चैतराम निषाद	छन्नुलाल	—"—	01-11-95	16-06-97
5.	संतोष सूर्यवंशी	लखनलाल	डिस्पेच	—"—	07-06-97
6.	दिलीप कुमार केंवट	विश्राम	—"—	10-11-95	07-06-97
7.	उपेंद केंवट	चैतराम	—"—	—"—	07-06-97
8.	रामरतन जायसवाल	फेकूलाल	—"—	—"—	13-08-97
9.	राम कुमार लहरे	कृपाराम	—"—	—"—	13-08-97
10.	नम्मूराम	कलीराम पोर्ते	—"—	—"—	03-07-97
11.	कान्हा सोनानी	अंजोर दास	क्वालिटी कंट्रोल	20-10-94	13-08-97
12.	अरूण कुमार जांगड़े	श्री धरमदास जांगड़े	—"—	28-09-94	13-08-97
13.	जय कुमार	मंशाराम	—"—	20-09-94	13-08-97
14.	शिवशंकर	तुलाराम	—"—	—"—	15-08-97
15.	रमेश कुमार लहरे	लेढ़गा	प्रोसेस	—"—	13-08-97
16.	शत्रुहन	सुकालू	—"—	—"—	20-08-97
17.	सीताराम गेंदले	रामसाय गेंदले	आर. एम. पी. कोल ब्रेकिंग.	03-03-95	18-07-97
18.	संतराम निषाद	हिन्छाराम	—"—	—"—	18-07-97

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	विजय कुमार ध्रुव	श्यामरतन सिंह	आर. एम. पी. कोल ब्रेकिंग	19-03-95	14-08-97
20.	उमेंदी ध्रुव	अवधराम	—"—	—"—	14-08-97
21.	तोपसिंह साहू	रामकुमार साहू	आर. एम. पी.	07-06-94	21-08-97
22.	हरप्रसाद	रंगलाल	—"—	15-09-94	13-07-97
23.	मेलूराम सूर्यवंशी	सूखनाथ	—"—	21-09-94	13-07-97
24.	सुन्दर	चमार	—"—	21-09-94	07-08-97
25.	गौतम	चमार	सिविल	01-11-94	07-08-97
26.	टेकराम	दुखीतराम	—"—	13-12-95	07-08-97
27.	लक्ष्मीनारायण	देवा	—"—	26-10-94	07-08-97
28.	बिरेश	रामरतन	—"—	29-11-95	07-08-97
29.	सुकाल	बादसाय	—"—	18-10-94	07-08-97
30.	आशाराम	पतिराम	—"—	—"—	07-08-97
31.	तुलाराम	सहदेव	—"—	15-10-94	07-08-97
32.	सुकलहा साहू	सुखीराम	डिस्पेच	12-09-94	14-08-97
33.	रामरतन जगत	भारत सिंह जगत	—"—	17-11-94	14-08-97
34.	संतोष कुमार	दुखवा	—"—	27-11-95	26-08-97
35.	सौखिलाल	रामभरोस	फाइन्स पैकिंग	27-11-95	26-08-97
36.	अनिल कुमार बघेल	दाउराम बघेल	डिस्पेच	25-11-95	20-08-97
37.	भरत बघेल	अधिनदास बघेल	—"—	15-11-95	20-08-97
38.	राजाराम	प्रेमलाल	—"—	15-11-95	20-08-97
39.	रज्जू	गणेशराम	—"—	—"—	18-08-97
40.	अरूण बघेल	दाउराम बघेल	—"—	—"—	18-08-97

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.	जगजीवन	लखन	डिस्पेच	15-11-95	18-08-97
42.	अश्वनी	जानिक	—"—	—"—	18-08-97
43.	साहसूराम	भगेला	—"—	13-10-95	26-08-97
44.	गोवर्धन	घासीराम	—"—	13-10-95	26-08-97
45.	बाबूलाल	परदेशी	कोल ब्रेकिंग	13-10-95	26-08-97
46.	भानूप्रताप	फगुआराम	—"—	03-03-95	18-08-97
47.	बैसाखू	सेउंकराम	—"—	27-03-95	18-07-97
48.	राजू कोसले	छबली	—"—	27-03-95	18-07-97
49.	दीलीप	रामप्रसाद	कोल ब्रेकिंग	05-04-95	18-07-97
50.	रामप्रसाद	परमेश्वर	डिस्पेच	24-07-94	26-08-97
51.	सभापति निषाद	श्याम लाल निषाद	प्रोसेस	02-02-94	06-09-97
52.	शत्रुहन निषाद	श्याम लाल निषाद	—"—	08-03-94	06-09-97
53.	अशोक वर्मा	राम जी वर्मा	डी. आर. पी.	02-09-95	04-10-97
54.	सुन्दर लाल कोसले	राम स्वरूप कोसले	क्वालिटी कंट्रोल	07-03-95	13-07-97
55.	दिनेश कुमार बघेल	पुन्नीलाल	—"—	—"—	13-07-97
56.	लालचन्द बंजारे	गणपंतराम बंजारे	क्वालिटी कंट्रोल	07-03-95	17-07-97
57.	हरदेव प्रसाद	महेतरू	कोल ब्रेकिंग	03-08-95	18-08-97
58.	द्वारिका प्रसाद बारबे	कलाराम	क्वालिटी कंट्रोल	03-08-95	18-07-97
59.	नरोत्तम बघेल	रामदास बघेल	—"—	—"—	—"—
60.	रामचरण नेस्टो	महेतरू	—"—	—"—	—"—
61.	अरविन्द बघेल	दाउराम	—"—	—"—	26-06-97
62.	रामाधार	चन्देला	—"—	16-08-95	26-06-97

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63.	शिवकुमार	पुनितराम	क्वालिटी कंट्रोल	20-09-94	02-06-97
64.	सुखराम	पुनिराम	प्रोसेस	20-10-94	06-09-97
65.	फिरतराम यादव	सुखउराम	—"—	20-10-94	20-11-97
66.	मनोज कुमार	शम्भूनाथ	—"—	20-10-94	20-11-97
67.	केराचन्द	रामखिलावन	डिस्पेच	10-10-94	20-01-97
68.	कुशल कुमार	अवधराम	प्रोसेस	12-10-94	—"—
69.	दीलिप कुमार	बृजलाल	डिस्पेच	—"—	—"—
70.	सुशिल कुमार	बृजलाल	—"—	—"—	—"—
71.	गुलाब लाल	कोदूराम नवरंग	—"—	—"—	—"—
72.	दुजराम गहरे	मालिक राम	कोल ब्रेकिंग	15-10-94	25-11-97
73.	परदेशी राम साहू	आनंदराम साहू	—"—	—"—	—"—
74.	शिव कुमार	मोहन लाल	—"—	—"—	21-06-98
75.	राकेश	श्याम लाल	डिस्पेच	17-10-94	21-06-97
76.	मदन लाल जांगड़े	धरमदास जांगड़े	आर. एम. पी.	—"—	22-07-97
77.	चन्द्राम बारले	कलाराम	डिस्पेच	—"—	25-10-97
78.	रामफल गहरे	मालिक राम	—"—	20-10-95	25-10-97
79.	नरेश कुमार बघेल	रामदास	—"—	—"—	—"—
80.	शिवप्रसाद	रामसाय	—"—	—"—	15-10-97
81.	मनाराम	फिरतुराम	डिस्पेच	12-08-95	20-09-97

रायपुर, दिनांक 5 मई 2006

क्रमांक एफ 9-3/2006/16.—चूंकि प्रबंधन यूनिवर्थ टेक्सटाईल लिमि. 923-945 उरला ग्रोथ सेन्टर सेक्टर-डी उरला इण्डस्ट्रीयल स्टेट पो. उरला सरोरा रायपुर के सेवा नियुक्ति जिनका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ी युनिवर्थ आपरेटर कर्मचारी संघ मुख्यालय हाण्डीपारा, रायपुर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक प्रबंधन यूनिवर्थ टेक्सटाईल लिमि. 923-945 उरला ग्रोथ सेन्टर सेक्टर-डी उरला इण्डस्ट्रीयल स्टेट पो. उरला सरोरा, रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह सन्तुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा-51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निर्मित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

क्या संस्थान में कार्यरत आपरेटरों को अन्य प्रदेशों में लागू भारत सरकार के उद्योग विभाग द्वारा घोषित दिस. 2005 वेतन पाने की पात्रता रखते है, तो इसकी गणना क्या होगी ? यदि हो तो आवेदक किस सहायता का पात्र है, तथा इस संबंध में नियोजक पक्ष को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये ?

रायपुर, दिनांक 5 मई 2006

क्रमांक एफ 9-3/2006/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ी यूनिवर्थ आपरेटर कर्मचारी संघ मुख्यालय, हाण्डीपारा, रायपुर एवं प्रबंधन यूनिवर्थ टेक्सटाईल लिमिटेड 923-945 उरला ग्रोथ सेंटर सेक्टर-डी उरला इण्डस्ट्रीयल स्टेट पो. उरला सरोरा, रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 2/सी.जी.आई.आर./2006.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. कपूर, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2002

क्रमांक 8258/डी-2740/21-ब/छ.ग./2002—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5857/11-2/16/2001, दिनांक 13-11-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्री पी. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की सेवायें अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2004

क्रमांक 3128/डी-1183/21-ब/छ.ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 186-1-8-6/2001/ गोपनीय/2004 दिनांक 17-5-2004 के परिप्रेक्ष्य में श्री बुद्धराम निकुंज, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय की सेवाएं आदिमजाति एवं जनजाति विकास विभाग से वापस लेते हुए उन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सदस्य सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक 3428/डी-965/21-ब/छ.ग./04.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा की सदस्या श्रीमती शकुन्तला दास, अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3423/डी-965/21-ब/छ.ग./04; दिनांक 7-6-2004 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर में पीठासीन न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2004

क्रमांक 3958/डी-1183/21-ब/छ.ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. 215/11-2-17/2001/गोप./04, दिनांक 26-6-2004 के परिप्रेक्ष्य में श्री इन्दर सिंह उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, रायपुर की सेवायें विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. रायपुर से वापस लेते हुए उन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में सदस्य सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2004

क्रमांक 3959/डी-1365/21-ब/छ.ग./04.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 215/11-2-17/2001/गोप./04, दिनांक 26-6-2004 के परिप्रेक्ष्य में श्री बुद्धराम निकुंज, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की सेवायें वापस लेते हुए उन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन मंत्रालय, रायपुर में अतिरिक्त सचिव, विधि के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2004

क्रमांक 2608/डी-1049/21-ब/छ.ग./04.—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 133/2-15-21/2000 (भाग-तीन), दिनांक 7-4-2004 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन, फास्ट ट्रेक कोर्ट के तदर्थ रूप से नियुक्त निम्नलिखित पीठासीन अधिकारियों को, जिन्हें इस विभाग के आदेश क्रमांक 1396/डी.-क्यू/21-ब/छ.ग./2001 दिनांक 26/27-3-2001 द्वारा फास्ट ट्रेक कोर्ट में तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था, की सेवाओं की आवश्यकता न होने के कारण, उनकी सेवायें, आदेश जारी होने के दिनांक से समाप्त घोषित करता है.

1. श्री एच. एल. वार्डे [सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 60/7, नेहरू नगर (ईस्ट), भिलाई]	फास्ट ट्रेक कोर्ट, बेमेतरा
2. श्री ए. पी. मिश्रा, [सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्गा मंदिर के पास, शहडोल (म.प्र.)]	फास्ट ट्रेक कोर्ट, सूरजपुर
3. श्री पी. एन. एस. चौहान, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वार्ड क्र. 10, महलपारा, बैकुंठपुर, जिला-कोरिया).	फास्ट ट्रेक कोर्ट, अंबिकापुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2004

क्रमांक 2609/डी-1049/21-ब/छ.ग./04.—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 130/2-15-21/2000 (भाग-तीन), दिनांक 7-4-2004 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन, निम्नलिखित पीठासीन अधिकारियों को, जिन्हें इस विभाग के आदेश क्रमांक 1396/डी-क्यू./21-ब/छ.ग./2001, दिनांक 26/27-3-2001 द्वारा फास्ट ट्रेक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के रूप में तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था, की फास्ट ट्रेक कोर्ट के पीठासीन आधकारी के लिये निर्धारित आयु 65 वर्ष इनके द्वारा पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप, उक्त पीठासीन अधिकारियों की सेवाएं आदेश जारी होने के दिनांक से समाप्त की जाती है :—

1. श्री एन. एस. चौहान, (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 110, दीपक नगर, अयोध्या अपार्टमेंट के सामने, दुर्ग, छ. ग.)	फास्ट ट्रेक कोर्ट, जगदलपुर
2. श्री एम. एस. कुरैशी, (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एल.आई.जी. 246, पद्मनाभपुर, दुर्ग, छ. ग.).	फास्ट ट्रेक कोर्ट, कांकेर
3. श्री एम. ए. फारूखी, (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, म. नं. 7, शंकरनगर, मार्ग-1, चौबे कालोनी, रायपुर, छ. ग.)	फास्ट ट्रेक कोर्ट, दुर्ग
4. श्री टी. एन. एच. पंचोली, (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 38, अधिवक्ता कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल म.प्र.)	फास्ट ट्रेक कोर्ट, सूरजपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2004

क्रमांक 7407/डी-1365/21-ब/छ.ग./2004.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 501/दो-2/101/2001/गोप./2002 दिनांक 23-12-2004 के परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक कुमार गोयल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर छ. ग. की सेवाएं उप सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2005

फा. क्र. डी./3132/739/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 206/दो-2-17/2001/गोप./2005 दिनांक 24-3-2005 की अनुशंसा पर श्रीमती अनुराधा खरे चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत) बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 2128/डी-740/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन, छ.ग. उच्च न्यायालय, की अनुशंसा से, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सारणी के खण्ड (2) में उल्लेखित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सदस्यों को उनके नाम के समक्ष खण्ड (3) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में (छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 1507/डी-397/21-ब/छ.ग./05 दिनांक 24-2-2005 द्वारा स्थापित कुटुम्ब न्यायालय) जिनका मुख्यालय खण्ड (4) में दर्शित है का न्यायाधीश नियुक्त करता है. न्यायाधीशगण दिनांक 28-3-05 को आवश्यक रूप से अपने नये पद का पदभार ग्रहण करेंगे :—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम (2)	न्यायालय का नाम (3)	मुख्यालय (4)
1.	श्री रघुवीर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर.	न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.	रायपुर
2.	श्री पी. के. श्रीवास्तव न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.	न्यायालय, प्रथम अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय रायपुर.	रायपुर
3.	श्रीमती निर्मला सिंह विशेष न्यायाधीश, (अनु. जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत) राजनांदगांव.	न्यायालय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.	रायपुर
4.	श्री अशोक कुमार निमोनकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़.	न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	दुर्ग
5.	श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर.	न्यायालय, प्रथम अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	दुर्ग
6.	श्री एच. आर. गुरूपंच, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग.	न्यायालय, द्वितीय अति. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	दुर्ग
7.	श्रीमती अनिता झा, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग.	कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर.	बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सरवानी प.ह.नं. 6	0.376	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सरवानी जलाशय के बांध, वेस्टवीयर के नीचे डाउन भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मौहापाली प.ह.नं. 8	0.878	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बोकरामुड़ा जलाशय के डूब में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2006

क्रमांक 19/अ-82/2004-05/सा.-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बेलगहना	0.182	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ. ग.).	रतनपुर बेलगहना मार्ग पर अरपा सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2006

रा. प्र. क्र. 45/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	तुरवारी	2.95	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग मुंगेली.	पदमपुर व्यपवर्तन योजना फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2006

रा. प्र. क्र. 47/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	पीपरखुंटी	0.62	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	पदमपुर व्यपवर्तन योजना फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 मई 2006

प्र. क्र. 6/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	जमुनाही	0.717	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय माइनर नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 मई 2006

रा. प्र. क्र. 4/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	तेलियापुरान	6.25	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग मुंगेली.	पदमपुर व्यपवर्तन योजना फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 मई 2006

रा. प्र. क्र. 5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	पठारीकापा	5.14	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	पदमपुर व्यपवर्तन योजना फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 मई 2006

रा. प्र. क्र. 7/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	पीपरखुंटा	14.82	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	पदमपुर व्यपवर्तन योजना फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 मई 2006

रा. प्र. क्र. 9/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	सुकली	4.06	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	डिंडोल व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 मई 2006

रा. प्र. क्र. 10/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	विचारपुर	6.73	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	विचारपुर-डिंडोल व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 17 सितम्बर 2004

क्रमांक 1288/प्र. 1/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	सावनी	0.36	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन उप संभाग, क्रमांक-3, दुर्ग.	खुड़गुड़ी जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 338/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	करमू	0.02	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	साजा-खम्हरिया मार्ग के कि. मी. 15/4 पर डोट नदी के पहुंच मार्ग में आ रही निजी भूमि का अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 8 मई 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/16/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	दहीकोंगा प.ह.नं. 27	0.128	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर, जिला बस्तर.	दहीकोंगा गोलावण्ड मार्ग पर बने पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 8 मई 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/17/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बड़े बन्जोड़ा प.ह.नं. 27	0.061	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर, जिला बस्तर.	दहीकोंगा गोलावण्ड मार्ग पर बने पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक 141/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर प.ह.नं. 14	0.330	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	बरदुली वितरक नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक 142/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जर्वे प.ह.नं. 18	0.308	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	परसाडीह वितरक नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक 143/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	परसाडीह प.ह.नं. 16	0.084	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	परसाडीह वितरक नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक 144/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	भोथीडीह प.ह.नं. 05	0.061	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	भोथीडीह माइनर नं. 2 नहर (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक 145/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंघनसरा प.ह.नं. 10	0.113	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	सिंघनसरा माइनर-I (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक 146/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	छिन्दमुड़ा प.ह.नं. 02	0.259	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	खरसिया शाखा नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2006

प्र. क्र. 23 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बीरेन्द्रनगर प. ह. नं. 61	5.190	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.).	नवगांव व्यपवर्तन के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2006

प्र. क्र. 24 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बबई प. ह. नं. 57	5.351	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला- कबीरधाम (छ. ग.).	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत खैरबना शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2006

प्र. क्र. 25 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बीजाबैरागी प. ह. नं. 58	3.973	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला- कबीरधाम (छ. ग.).	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत वरगांव शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मई 2006

प्र. क्र. 26 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कांपा प. ह. नं. 3	1.006	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मनियारी संभाग, मुंगेली जिला- बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 27 अप्रैल 2006

क्रमांक 2738/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	सोनहत	तंजारा	1.56	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ. ग.).	तंजारा जलाशय के मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैकुण्ठपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 27 अप्रैल 2006

क्रमांक 2738/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यंकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर	0.044	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ. ग.)	गेज दायीं तट के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैकुण्ठपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

प्र. क्रमांक 2 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-उपका, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.247 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	392/2	0.405
	392/1	0.405
	399	0.113
	394	0.324
योग	4	1.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झोंका नाला जलाशय के डूबान कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2006

रा. प्र. क्र. 3/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-लोरमी

(ग) नगर/ग्राम-औराबांधा, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.75 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
755	0.60
754/2	0.43
754/1	0.21
750/1	0.60
749/1	0.75
747/1	0.50
746/1	0.59
745	2.01
744	0.19
743	0.55
742	0.73
746/2	0.41
747/2	0.59
749/2	0.37
754/3	0.22
योग -15	8.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पदमपुर डायवर्सन डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2006

क्रमांक 4/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-लोरमी

(ग) नगर/ग्राम-करीलकुण्डा, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.891 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
256/17	0.081
256/29	0.162
256/38	0.243
256/16	0.101
256/18	0.243
338/17	0.061
योग 6	0.891

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पदमपुर डायवर्सन डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 11 मई 2006

क्रमांक/60/भू-अर्जन/अ.वि.अ./9 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव कला, प.ह.नं. 118/65
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5, 6, 7/2, 35/15, 35/16	0.31
32/2	0.16
29/2	0.06
27, 28	0.44
23	0.12
98	0.13
145	0.06
146/2, 173, 174	0.02
21	0.21
19/1	0.21
176/1, 177/1	0.16
16/3, 17/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15	0.15
18/1, 18/8	0.14
72/1	0.15
73/1	0.20
246	0.02
73/6	0.25
82	0.12
80/1	0.13
80/3, 81/2	0.14
80/2	0.11
79/2	0.01
79/1	0.15
80/4, 81/1	0.10
97/1	0.19
97/3	0.03
91, 92, 93/1, 96/22, 107	0.07
106	0.06
138	0.07
159/4, 160	0.07
149	0.06
6.7	
171	0.08
172	0.01
175	0.03
144/2, 144/3	0.02
161	0.01
170	0.01
168	0.25
241, 243	0.05
156	0.01
176/2, 244	0.04
176/3, 177/2	0.09
178/5	0.06
242	0.23
207, 208	0.19
210/2, 210/1, 214/2	0.05
232/2, 121/1	0.31
214/1	0.23
231	0.19
230/1	0.05
218/1, 219	0.09
221, 222	0.43
217/1	0.11
216/1	0.06

(1)	(2)
217/2	0.11
योग 55	6.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चण्डी डोंगरी जलाशय योजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 11 मई 2006

क्रमांक/61/भू-अर्जन/अ.वि.अ./29 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-महासमुन्द
 (ख) तहसील-महासमुन्द
 (ग) नगर/ग्राम-साल्हेतराई, प.ह.नं. 40
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
622	0.07
626/1	0.11
626/2	0.11
628/1	0.15
628/2	0.17
629	0.09
630	0.10
642	0.04
643/1	0.11
योग 9	0.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खुरसी पहार जलाशय योजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/72/भू-अर्जन/अ.वि.अ./10 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-महासमुन्द
 (ख) तहसील-महासमुन्द
 (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी खुर्द, प.ह.नं. 118/65
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
डूबान क्षेत्र में	
229/2	2.00
229/3	2.00
243/1	0.65
244	0.79
253/5	0.60
243/2	0.61
245	0.83
253/2	0.17
252	0.24
253/6	1.26

(1)	(2)
253/4	0.20
254	0.68
250	1.20
253/3	0.14
250, 362/3	0.24
249/1	0.14
249/2	0.40
255, 250	0.40
362/2	0.20
241/2	0.70
241/1, 239	0.32
361/2	0.27
247	1.85
217/1	0.04
171	0.06
181/2	0.08
172	0.12
174	0.06
180	0.02

नहर नाली में अर्जित भूमि

179	0.10
178/2	0.08
202	0.20
201/2	0.22
197	0.19
196/2	0.12
193/2	0.03
215	0.22
194/2	0.09
229/4	0.16
216/2	0.10
194/1	0.17
योग 41	17.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नवाडीह जलाशय के डुबान नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक 4058/भू-अर्जन/28 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-बेलरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.555 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2517	0.255
2523	0.138
2524	0.162
योग 3	0.555

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोलापुर माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक 4060/भू-अर्जन/29 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़डोंगरी मालगुजारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1061	0.25
योग	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोंढूर प्रदायक नहर प्रणाली के सिहावा वितरक शाखा के अन्तर्गत गढ़डोंगरी माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक 4054/भू-अर्जन/4 अ/82 वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-कसपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
346	0.06
348	
351	0.
योग 3	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जरहीडीह माइनर क्रमांक 1 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक 4056/भू-अर्जन/5 अ/82 वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-कसपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28	0.03
29	0.04
16/4	0.03
16/5	0.03
16/2	0.03
16/1	0.08
14	0.20

	(1)	(2)
	2, 13	0.34
योग	8	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजामुड़ा बांध माइनर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शांतनु, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 10 मार्च 2006

क्रमांक-1 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवीपुर, प. ह. नं.- 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.424 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
405	0.20
406	0.012
403	0.32
408	0.02
410	0.13
445/4	0.01
447	0.010
1262	0.010
1232	0.016
1233	0.016
1282	0.219
1283	0.006
437	0.005
441	0.080
445/2	0.064
1244/6	0.075
1246/2	1.007
1258	0.032
1259	0.283
1621	0.656
1185	0.016
1189	0.012
1241	0.005
1244/3	0.10
1244/7	0.12
448/1	0.020
448/2	0.023
1060	0.263
1186	0.046
1188	0.08
1195	0.01
1255	0.085
1242	0.052
1282/1722	0.138
1244/5	0.085
1187/2	0.056
1254	0.01
1613	0.034
1627/2	0.202
1605/2	0.100
1606	0.049
443	0.080
1623	0.283
1622	0.243
1257	0.036
1605/1	0.121
1618	0.190
444	0.048
1231/1	0.060
1231/2	0.016
1263	0.014
1265	0.020

	(1)	(2)
	1267	0.033
	1264	0.070
	1271	0.040
	1273	0.050
	1278	0.015
	1615	0.506
	1620	0.045
	1272	0.029
	1619	0.433
योग	61	6.424

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- देवीपुर जलाशय के डुबान, स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 117/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.118 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	(हेक्ट
	(1)	(2)
	709	0.058
	687/2	0.024
	711/2, 6, 9	0.036
योग	3	0.118

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खम्हरिया माइनर II.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 118/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केकराभांठ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.088 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
442	0.020
594	0.040
590/2	0.012
646/6	0.008

	(1)	(2)
	489	0.008
योग	5	0.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मुरलीडीह डिस्ट्रीब्यूट्री.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 119/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	5325/1	0.060
योग		0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भाठापारा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 120/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोटेतरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	364/4	0.061
योग		0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मुरलीडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 121/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
220/4	0.012
योग	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेम्पाभांठा माइनर नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 122/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रतनपाली, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82	0.077
83	0.182
84/1	0.121
योग	0.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतनपाली माइनर नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल

क्रमांक 123/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि [illegible] शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पोरथा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.401 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1549/2	0.032
1548, 1549/1	0.077
1547	0.210
1546	0.190
1545	0.174
1350/1, 2	0.117
1343/2, 3, 4	0.081
1337/2	0.008
1350/3	0.049
1346/3	0.053
1346/2	0.020
1347/1, 2	0.077
1345	0.085
1338/2, 3, 4, 5	0.077
1343	0.117
1337/4	0.028
1336	0.146
1185	0.004
1330, 31, 32	0.146
1114/16	0.045
1114/12	0.097
1114/18	0.077
1321/2, 1322	0.194

(1)	(2)
1290	0.603
1373/2	0.020
1374	0.255
1375, 1376	0.040
1379, 1380	0.117
1378/1	0.081
1396, 1397	0.227
1393	0.012
1395	0.040
1383/1, 2	0.028
1387	0.085
1398, 1399	0.125
1394/1 से 4	0.138
1461/1	0.190
1456, 1457	0.004
1458	0.065
1459/1	0.097
1459/2	0.089
1459/3	0.081
योग	4.401

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भालूडेरा माइनर नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 124/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नंदौरखुर्द, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
233	0.065
योग	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नंदौरखुर्द माइनर नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 125/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-अरजुनी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/5	0.032

	(1)	(2)
	25/10	0.032
योग	2	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बगडेवा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 126/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-अरजुनी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	148	0.053
	155, 156, 152, 153/1	0.008
	157/1	0.024
	497	0.008
	158/1	0.008
	154/1	0.008
योग	6	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अरजुनी सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 127/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.399 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	152/3	0.032
	570/3	0.101
	152/1	0.016
	462/2	0.040
	529/3	0.085
	157/1	0.040
	127/3	0.085
योग	7	0.399

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मरकामगोढ़ी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 अप्रैल 2006

क्रमांक 128/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-मरकामगोढ़ी, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.218 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	390/1	0.032
	709/2	0.077
	756/1	0.081
	714/5	0.028
योग	4	0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मरकामगोढ़ी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 136/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1083/23	0.040
	1202	0.061
	1184	0.040
योग	3	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मुरलीडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 137/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-पाड़ाहरदी, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	305	0.049
योग	1	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कलमीडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 138/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-पाड़ाहरदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	318	0.085
	317/2	0.004
योग		0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- शिकारीनार सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक 1/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
(ख) तहसील-चांपा
(ग) नगर/ग्राम-पेटफोरवा, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	341	0.073
	348/1	0.113
	353/1	0.012
	353/2	0.012
योग	4	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दारंगकड़ारी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, चांपा/सक्ती/डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 अप्रैल 2006

क्रमांक 2/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
(ख) तहसील-चांपा
(ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.300 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1601/9	0.150
1601/10	0.150
योग 2	0.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चोरिया सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, चांपा/सक्ती/डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक 139/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खजुरानी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
836/1	0.206
836/5	0.024
योग	0.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खजुरानी माइनर नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्रमांक 140/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.594 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70	0.158
373/4	0.150
318/5	0.020
319/2	0.101
398/1	0.032
401/1, 2	0.024
429/1	0.053
430/2	0.113
431/1	0.040
434, 435	0.101
440	0.045
365/2	0.061
360/4	0.097
359/1, 2	0.162
361/1, 2	0.101
375/2	0.073
375/3	0.081
376, 377/1	0.057
302/8	0.040
449/1, 2, 3	0.085
योग 20	1.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2006

"संशोधन पत्र"

क्रमांक /अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 8 अ/82, वर्ष 2005-2006.— रायपुर दिनांक 10-03-2006 को जारी प्रारूप अधिसूचना धारा 6, ग्राम रायपुरा, प. ह. नं. 104, कुल खसरा नं. 27, कुल रकबा 6.384 हे. में खसरा रकबा की सूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

ग्राम रायपुरा, प. ह. नं. 104, रा. नि. मं. रायपुर, तह. रायपुर की निजी भूमि का पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की शिक्षण योजना हेतु भू-अर्जन के संबंध में अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का खसरा नं. एवं रकबों की सूची -

दिनांक 10-03-2006 को जारी प्रारूप अधिसूचना धारा 6 के अनुसार			संशोधित पत्रानुसार अब निम्नानुसार होगा		
क्रमांक	खसरा नं.	अर्जित रकबा	क्रमांक	खसरा नं.	अर्जित रकबा
12	325/23	0.242 हेक्टेयर	12	325/53	0.242 हेक्टेयर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर चालन इंजिनियर परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़ जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्र. मुनिवा/परीक्षा/1254/2006.—सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ बायलर चालन इंजिनियर नियम, 1968 के अंतर्गत बायलर चालन इंजिनियरिंग में प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 22, 23 एवं 24 जून, 2006 को मेसर्स कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, जमनीपाली, कोरबा, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) में आयोजित की गई है. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"अ") इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4 × 10 इंच साइज का लिफाफा जिस पर रुपये 10.00 (रुपये दस मात्र) के डाक टिकिट लगे हों, भेजकर प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रपत्र- "अ") की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"अ") केवल डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र-"अ" पर संपूर्ण विवरण के साथ भाग-IV में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सचिव, बायलर चालन इंजिनियर परीक्षा मंडल, कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर 492001 में दिनांक 22 मई, 2006 तक या उसके पूर्व पहुंचने चाहिये.

पात्रता :—

स. क्र. (1)	शैक्षणिक योग्यता (2)	कार्य अनुभव (3)	टीप (4)
1.	बी. ई. मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल	02 वर्ष	बैटरी में जुड़े कम से कम दो बायलरों (प्रत्येक की रेटिंग 93 वर्गमीटर या अधिक) या एकल बायलर (रेटिंग 1000 वर्गमीटर या अधिक) में कार्य अनुभव अनिवार्य है.
2.	डिप्लोमा मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल	06 वर्ष	
3.	बी. ई. केमिकल	05 वर्ष	
4.	बी. ई. मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल (एन. पी. टी. आई. एक वर्षीय पी. जी. डिप्लोमा के साथ)	01 वर्ष	

क्रमांक मुनिवा/1873/2006 रायपुर, दिनांक 17 मई 2006

द्वितीय श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट्स परीक्षा माह अप्रैल 2006

उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची

क्र. (1)	अनुक्रमांक (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पिता का नाम (4)	स्थान (5)
1.	1.	श्री अजय कुमार दुबे	श्री रामशंकर दुबे	भिलाई
2.	2.	श्री लवकुश सिंह	श्री जय सिंह राजपूत	दुर्ग
3.	3.	श्री प्रमोद कुमार पटेल	श्री भुवन लाल पटेल	रायगढ़
4.	4.	श्री दिनेश कुमार कोलावार	श्री वेंकटराम कोलावर	रायगढ़
5.	5.	श्री दुजराम पटेल	स्व. श्री पुरनं लाल पटेल	जांजगीर
6.	6.	श्री वाय. गोजा भूपति राव	स्व. श्री लक्ष्मण राव	भिलाई
7.	7.	श्री अनुराग सिंह चंदेलू	श्री रविन्द्रनाथ सिंह	दुर्ग
8.	8.	श्री नंद कुमार सिन्हा	श्री भवर सिंह सिन्हा	दुर्ग
9.	9.	श्री स्वरूप कुमार चक्रवर्ती	श्री जी. सी. चक्रवर्ती	रायपुर
10.	10.	श्री पुनीत राम साहू	श्री परसराम साहू	रायपुर
11.	11.	श्री राजन कुमार साहू	स्व. श्री डी. एल. साहू	रायपुर
12.	12.	श्री ओम प्रकाश साहू	श्री रामेश्वर साहू	रायपुर
13.	13.	श्री सुरेश कुमार	श्री गौतम राम	रायपुर
14.	14.	श्री कमल किशोर	श्री रघुनाथ प्रसाद	रायपुर
15.	15.	श्री कुलदीप सिंह घंजल	स्व. श्री टी. एस. घंजल	भिलाई
16.	16.	श्री नारद राम निर्मलकर	स्व. श्री मंगलू राम निर्मलकर	भिलाई
17.	17.	श्री अनुज कुमार सिंह	श्री विश्वकर्मा सिंह	भिलाई
18.	18.	श्री राजकुमार	स्व. श्री रामाधीन	भिलाई
19.	19.	श्री बिहारीलाल बंजारे	श्री समारू लाल बंजारे	भिलाई
20.	20.	श्री क्लाडियस तिर्की	श्री लूकास तिर्की	कोरबा
21.	21.	श्री कृष्ण कुमार राठौर	श्री उदय राम राठौर	कोरबा
22.	22.	श्री मक्सी मिलियन बारा	श्री जोसेफ बारा	कोरबा
23.	23.	श्री चंद्रभान प्रसाद पाण्डेय	श्री ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय	रायपुर
24.	24.	श्री लक्ष्मी प्रसाद सारथी	श्री निरंजन	कोरबा
25.	25.	श्री महेश कुमार	श्री दीतालाला	रायपुर
26.	26.	श्री रिशी कुमार	श्री गुहा राम साहू	भिलाई
27.	27.	मो. शहजाद खान	मो इकराम खान	भिलाई
28.	28.	श्री रमेश साहू	श्री पंचराम साहू	रायपुर
29.	29.	श्री विश्वनाथ साहू	श्री कुंवर सिंह	रायपुर
30.	30.	श्री अरुण कुमार	श्री लखनलाल	[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	31.	श्री विष्णु प्रसाद मिश्रा	श्री गंगाराम मिश्रा	भिलाई
32.	32.	श्री सनाउल्ला	श्री शौकर अली	भिलाई
33.	33.	श्री डोमनलाल चन्द्राकर	श्री एन. आर. चन्द्राकर	भिलाई
34.	34.	श्री हेमलाल नायक	श्री संतोष सिंह नायक	भिलाई
35.	35.	श्री नरसिंह राव	श्री ए. अप्पा राव	भिलाई
36.	36.	श्री मधुप दिओधिया	श्री डी. के. दिओधिया	भिलाई
37.	37.	श्री शैलेन्द्र कुमार बोपचे	श्री टेकचंद बोपचे	भिलाई
38.	38.	श्री कैलाश कुमार वामनकार	श्री भैय्या लाल वामनकार	भिलाई
39.	39.	श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा	स्व. श्री राधेश्याम तिवारी	भिलाई
40.	40.	श्री शिवचरण	श्री राम विलास	भिलाई
41.	41.	श्री शैलेन्द्र कुमार देवांगन	स्व. श्री टीसू राम देवांगन	भिलाई

SECOND CLASS BOILER ATTENDANT'S EXAMINATION APRIL 2006

List of Successful Candidates

S. No. (1)	Name of Candidate (2)	Father's Name (3)	Place (4)
1.	Shri Ajay Kumar Dubey	Shri Ram Shankar Dubey	Bhilai
2.	Shri Lav Kush Singh	Shri Jai Singh Rajput	Durg
3.	Shri Pramod Kumar Patel	Shri Bhuwanlal Patel	Raigarh
4.	Shri Dinesh Kumar Kolawar	Shri Venkatram Kolawar	Raigarh
5.	Shri Dujram Patel	Late P. L. Patel	Janjgir
6.	Shri Y. Bhoja Bhupati Rao	Late Shri Laxman Rao	Bhilai
7.	Shri Anurag Singh Chandel	Shri Ravindranath Singh	Durg
8.	Shri Nand Kumar Sinha	Shri Bhawar Singh Sinha	Durg
9.	Shri Swarup Kumar Chakrawarti	Shri G. C. Chakrawarti	Raipur
10.	Shri Punitram Sahu	Shri Parasram Sahu	Raipur
11.	Shri Rajan Kumar Sahu	Late Shri D. L. Sahu	Raipur
12.	Shri Om Prakash Sahu	Shri Rameshwar Sahu	Raipur
13.	Shri Suresh Kumar Sahu	Shri Gautamram	Raipur
14.	Shri Kamal Kishor	Shri Raghunath Prasad	Raipur
15.	Shri Kuldeep Singh Dhanjal	Late Shri T. S. Dhanjal	Bhilai
16.	Shri Narad Ram Nirmalkar	Late Shri Mangluram Nirmalkar	Bhilai
17.	Shri Anuj Kumar Singh	Shri Vishwakarma Singh	Bhilai
18.	Shri Rajkumar	Late Shri Ramadhin	Bhilai
19.	Shri Biharilal Banjare	Shri Samarulal Banjare	Bhilai
20.	Shri Cladiaus Tirki	Shri Lucas Tirki	Korba
21.	Shri Krishna Kumar Rathore	Shri Udayram Rathore	Korba
22.	Shri Maxi Millian Bara	Shri Joseph Bara	Korba
23.	Shri Chandrabhan Prasad Pandey	Shri Ishwari Prasad Pandey	Raipur
24.	Shri Laxmi Prasad Sarthi	Shri Niranjan	Korba
25.	Shri Mahesh Kumar	Shri Ditalala	Raipur
26.	Shri Rishi Kumar	Shri Guharam Sahu	Bhilai
27.	Md. Shahjad Khan	Md. Ikram Khan	Bhilai
28.	Shri Ramesh Sahu	Shri Panchram Sahu	Raipur
29.	Shri Vishwanath Sahu	Shri Kuwar Singh	Raipur
30.	Shri Arun Kumar	Shri Lakhanlal	Durg
30.	Shri Arun Kumar	Shri Lakhanlal	Durg
31.	Shri Vishnu Prasad Mishra	Shri Gangaram Mishra	Bhilai
32.	Shri Sanaulla	Shri Shoukat Ali	Bhilai
33.	Shri Domanlal Chandrakar	Shri N. R. Chandrakar	Bhilai
34.	Shri Hemlal Naik	Shri Santosh Singh Naik	Bhilai

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	Shri Narsingh Rao	Shri A. Apparao	Bhilai
36.	Shri Madhup Deodhiya	Shri D. K. Deodhiya	Bhilai
37.	Shri Shailendra Kumar Bopche	Shri Tekchand Bopche	Bhilai
38.	Shri Kailash Kumar Wamankar	Shri Bhaiyalal Wamankar	Bhilai
39.	Shri Yogendra Kumar Sharma	Late Shri Radhe Shyam Tiwari	Bhilai
40.	Shri Shivcharan	Shri Ram Bilas	Bhilai
41.	Shri Shailendra Kumar Dewangan	Late Shri Tisuram Dewangan	Bhilai

क्रमांक मुनिवा/1874/2006 रायपुर, दिनांक 17 मई 2006

प्रथम श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट्स परीक्षा माह मई 2006
उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पिता का नाम (3)	स्थान (4)
1.	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी	श्री ओम हरि चौधरी	सुल्तानपुर
2.	श्री चंद्रभान माकोड़े	श्री शंकर माकोड़े	रायपुर
3.	श्री यारा शिवशंकर राव	स्व. श्री वाय. अप्पाराव	दुर्ग
4.	श्री के. पी. रथीस	श्री पी. नारायणन	दुर्ग
5.	श्री गणेश राम	श्री तुलसी राम	भिलाई
6.	श्री चंद्र प्रकाश	स्व. श्री मनीराम	भिलाई
7.	श्री उज्जैन प्रसाद नेताम	श्री रे. सिंह नेताम	भिलाई
8.	श्री नकुल प्रसाद वर्मा	श्री ढेलू राम वर्मा	भिलाई
9.	श्री दिनेश कुथे	श्री माधव कुथे	रायपुर
10.	श्री अखिल कुमार शुक्ला	स्व. श्री श्याम बिहारी शुक्ला	कैमोर
11.	श्री संजीव कुमार अग्रवाल	श्री बसंती लाल अग्रवाल	रायपुर
12.	श्री कुंज लाल वर्मा	श्री राजा राम वर्मा	रायपुर
13.	श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा	श्री शिव कुमार वर्मा	रायपुर
14.	श्री रमेश प्रसाद	स्व. श्री बैजनाथ प्रसाद	रायगढ़
15.	श्री समपत प्रसाद	श्री बनारसी प्रसाद	रायगढ़
16.	श्री खिलावन प्रसाद शर्मा	श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा	रायपुर
17.	श्री पवन कुमार सेन	श्री घनश्याम लाल सेन	रायपुर
18.	श्री गोकुल प्रसाद वर्मा	श्री कन्हैया लाल वर्मा	नेवरा
19.	श्री दिलीप कुमार वैष्णव	श्री कृष्ण कुमार वैष्णव	रायपुर
20.	श्री मुनि प्रसाद तिवारी	स्व. श्री शोभा प्रसाद तिवारी	बैकुंठ
21.	श्री छबि राम	श्री नाथू राम	भिलाई
22.	श्री चंद्रशेखर शरणागते	श्री प्रभुदास शरणागते	रायपुर
23.	श्री झुमुक लाल साहू	श्री रति राम साहू	रायपुर
24.	श्री अखिलेश कुमार सोनी	श्री डौरी लाल सोनी	कवर्धा
25.	श्री राकेश कुमार	श्री दानी राम साहू	भिलाई
26.	श्री पी. श्रीराम राजू	श्री पी. मुसाला राजू	रायपुर
27.	श्री परदेसी दास माणिकपुरी	श्री पी. डी. माणिकपुरी	रायपुर

FIRST CLASS BOILER ATTENDANT'S EXAMINATION MAY 2006
List of Successful Candidates

S. No. (1)	Name of Candidate (2)	Father's Name (3)	Place (4)
1.	Shri Dewendra Kumar Choudhary	Shri Om Hari Choudhary	Sultanpur
2.	Shri Chandrabhan Makode	Shri Shankar Makode	Raipur
3.	Shri Yara Shivshankar Rao	Late Shri Y. Apparao	Durg
4.	Shri K. P. Rathish	Shri P. Narayanan	Durg
5.	Shri Ganeshram	Shri Tulsiram	Bhilai

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Shri Chandra Prakash	Late Shri Maniram	Bhilai
7.	Shri Ujjain Prasad Netam	Shri Rai Singh Netam	Bhilai
8.	Shri Nakur Prasad Verma	Shri Dheleram Verma	Bhilai
9.	Shri Dinesh Kuthe	Shri Madhav Kuthe	Raipur
10.	Shri Akhil Kumar Shukla	Late S. B. Shukla	Kymore
11.	Shri Sanjeev Kumar Agrawal	Shri Basantilal Agrawal	Raipur
12.	Shri Kunjlal Verma	Shri Rajaram Verma	Raipur
13.	Shri Surendra Kumar Verma	Shri Shiv Kumar Verma	Raipur
14.	Shri Ramesh Prasad	Late Shri Baijnath Prasad	Raigarh
15.	Shri Sampat Prasad	Shri Banarsi Prasad	Raigarh
16.	Shri Khilawan Prasad Sharma	Shri Ishwari Prasad Sharma	Raipur
17.	Shri Pawan Kumar Sen	Shri Ghanshyamlal Sen	Raipur
18.	Shri Gokul Prasad Verma	Shri Kanhailal Verma	Neora
19.	Shri Dilip Kumar Vaishnav	Shri Krishna Kumar Vaishnav	Raipur
20.	Shri Muni Prasad Tiwari	Late Shri Shobha Pd. Tiwari	Baikunth
21.	Shri Chhabiram	Shri Nathuram	Bhilai
22.	Shri Chandrashekhar Shamagate	Shri Prabhudas Shamagate	Raipur
23.	Shri Jhumukhlal Sahu	Shri Ratiram Sahu	Raipur
24.	Shri Akhilesh Kumar Soni	Shri Dorilal Soni	Kawardha
25.	Shri Rakesh Kumar	Shri Daniram Sahu	Bhilai
26.	Shri P. Shreeram Raju	Shri P. Musala Raju	Raipur
27.	Shri Pardesi Das Manikpuri	Shri P. D. Manikpuri	Raipur

अविनाश भटनागर,
सचिव.

संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2005

क्र./गन्ना/रक्षण/2004-05.—मैं डॉ. एच. एल. प्रजापति, गन्ना आयुक्त छत्तीसगढ़ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम के लिए छत्तीसगढ़ गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 के धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निम्नानुसार विकास खण्डों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का क्षेत्र गन्ना पेराई वर्ष 2005-06 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. इस सम्पूर्ण आरक्षित क्षेत्र में निजी तौर पर गन्ने से गुड़ बनाना प्रतिबंधित होगा.

आरक्षित किये जाने वाले विकासखण्डों एवं ग्रामों की सूची-

क्र.	जिला	विकासखण्ड
1.	कबीरधाम	कवर्धा, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, बोडला
2.	दुर्ग	बेमेतरा, साजा, नवागढ़, बेरला
3.	राजनांदगांव	छुईखदान, खैरागढ़
4.	बिलासपुर	लोरमी, मुंगेली

एच. एल. प्रजापति,
गन्ना आयुक्त.

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)
सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी
पौधारोपण सत्र 2004—05

जिला — कवर्धा विकासखंड — कवर्धा

क्रं.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंघनपुरी	5	13	2.50	9.50	12.00	8.25	2.75	11.00	23.00	
2	गांगचुवा	7	2	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
3	जोरातालं	9	2	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	4.50	4.50	
4	बिजाझोरी	4	3	1.50	0.00	1.50	12.50	0.00	12.50	14.00	
5	दौंजरी	16	65	0.00	0.00	0.00	46.01	0.00	46.01	46.01	
6	रेंगाखार खूर्द	8	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	
7	नाउडीह	5	33	10.75	4.50	15.25	63.70	3.60	67.30	82.55	
8	पर्थरा	35	3	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	
9	धौराबंध	42	5	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	
10	मथानीखूर्द	47	7	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	
11	मःगनीकला	46	6	0.00	3.50	3.50	0.00	5.80	5.80	9.30	
12	बरबसपुर	10	55	23.69	_	23.69	72.56	_	72.56	96.25	
13	डेबराभाठ	15	1	_	_	0.00	_	5	5.00	5.00	
14	जेवड़न खूर्द	16	36	_	_	0.00	105.25	_	105.25	105.25	
15	बांझीमोहा	18	7	_	_	0.00	14.5	_	14.50	14.50	
16	सारंगपुर	17	9	_	_	0.00	_	13.40	13.40	13.40	
17	जमुनिया	18	3	_	_	0.00	_	3.80	3.80	3.80	
18	फरीद नवांगांव	19	2	_	6.00	6.00	7.00	_	7.00	13.00	
19	चारभाठा	19	0	_	_	0.00	_	_	0.00	0.00	
20	पिपरिया	25	5	_	0.22	0.22	_	11.50	11.50	11.72	
21	खार्म्ही	26	37	_	_	0.00	74.95	1.20	76.15	76.15	

22	गांगपुर	28	20	—	2.00	2.00	8.75	19.35	28.10	30.10	
23	मोहगांव	34	13	—	8.00	8.00	0.50	16.25	16.75	24.75	
24	छाटा	33	1	—	—	0.00	2.75	—	2.75	2.75	
25	दरगंवा	31	4	—	—	0.00	9.50	—	9.50	9.50	
26	झिरना	27	15	14.00	4.00	18.00	—	5.00	5.00	23.00	
27	गोरखपुर	32	11	3.00	5.00	8.00	—	13.50	13.50	21.50	
28	चरडोंगरी	28	41	—	—	0.00	4.50	53.10	57.60	57.60	
29	बिजई	18	6	—	—	0.00	0.70	7.00	7.70	7.70	
30	कोठार	19	6	—	—	0.00	—	7.50	7.50	7.50	
31	सुरजपुरा	22	29	—	2.80	2.80	2.00	28.00	30.00	32.80	
32	राम्हेपुर खुर्द	23	60	0.40	—	0.40	25.00	55.31	80.31	80.71	
33	अमलीडीह	15	2	10.00	—	10.00	—	1.60	1.60	11.60	
34	तालपुर	12	2	7.00	—	7.00	3.90	—	3.90	10.90	
35	मदनपुर	19	28	1.00	—	1.00	4.00	42.60	46.60	47.60	
36	खूटू	13	1	—	—	0.00	—	0.50	0.50	0.50	
37	सुखाताल	16		11.90	50.50	62.40	132.17	122.94	255.11	317.51	
38	बोधईकुंडा	10		5.40	31.27	36.67	33.84	65.77	99.61	136.28	
39	खैरीपार	8		5.72	18.40	24.12	25.54	14.42	39.96	64.08	
40	दशरंगपुरखूर्द	7		—	15.00	15.00	7.00	46.77	53.77	68.77	
41	जरती	8		19.15	16.08	35.23	66.33	50.61	116.94	152.17	
42	बटुराकछार	16		0.80	2.00	2.80	1.65	42.54	44.19	46.99	
43	कोदवा	17		—	—	0.00	—	1.25	1.25	1.25	
44	परसवारा	21	32	0.60	—	0.60	10.20	30.00	40.20	40.80	
45	पालीगुड़ा	20	35	—	—	0.00	—	94.90	94.90	94.90	
46	थूहाडीह	25	18	—	—	0.00	—	25.50	25.50	25.50	
47	खैरझिटी खूर्द	26	18	—	—	0.00	13.45	—	13.45	13.45	
48	मानिकचौरी	25	26	0.90	—	0.90	34.09	—	34.09	34.99	
49	धरमपुरा	22	42	—	—	0.00	59.60	—	59.60	59.60	
50	बिरकोना	20	68	—	—	0.00	92.95	—	92.95	92.95	

51	कुटकीपारा	25	9	1.13	—	1.13	—	3.13	3.13	4.26	
52	सोनपुरी	19	1	—	—	0.00	—	2.00	2.00	2.00	
53	इंदौरी	25	69	14.70	24.65	39.35	120.28	34.30	154.58	193.93	
54	दुबहा	24	52	—	—	0.00	11.00	31.65	42.65	42.65	
55	नयाखपरी	31	20	10.25	—	10.25	—	16.60	16.60	26.85	
56	खपरी	32	33	—	1.50	1.50	3.50	29.84	33.34	34.84	
57	जिंदा	25	9	5.00	—	5.00	11.00	—	11.00	16.00	
58	कोसमंदा	31	12	7.00	5.15	12.15	5.00	5.80	10.80	22.95	
59	चूचरूंगपुर	36	2	5.00	—	5.00	2.00	—	2.00	7.00	
60	बहरमुड़ा	28	4	4.50	—	4.50	4.00	—	4.00	8.50	
61	कुटकीपारा	20	8	—	1.19	1.19	2.09	4.31	6.40	7.59	
62	झिरौनी	32	1	5.00	—	5.00	—	—	0.00	5.00	
63	झलमला	35	26	1.00	4.50	5.50	18.25	14.35	32.60	38.10	
64	को0नवागांव	34	24	3.00	0.00	3.00	30.25	8.00	38.25	41.25	
65	डेहरी	34	10	—	—	0.00	19.70	6.00	25.70	25.70	
66	नवघटा	30	54	—	1.20	1.20	78.95	0.00	78.95	80.15	
67	डौकाबांधा	40	18	—	3.80	3.80	4.00	14.00	18.00	21.80	
68	घोरेवारा	36	8	—	—	0.00	13.00	1.80	14.80	14.80	
69	लघान	35	2	—	—	0.00	—	4.50	4.50	4.50	
70	गोपालभौना	35	7	1.00	—	1.00	11.40	2.00	13.40	14.40	
71	गेगड़ा	40	2	—	—	0.00	6.50	1.50	8.00	8.00	
72	अमलीडीह	42	14	3.80	—	3.80	13.45	0.00	13.45	17.25	
73	पंडरिया	35	5	4.00	—	4.00	4.90	—	4.90	8.90	
74	घिरघोसा	35	12	—	—	0.00	14.75	4.50	19.25	19.25	
75	नक्टापारा कूतबांधा	45	3	—	—	0.00	—	1.20	1.20	1.20	
76	रवेली	20	27	-	-	0.00	19.00	32.60	51.60	51.60	
77	खड़ोदाखूर्द	16	83	20.00	55.65	75.65	60.00	130.40	190.40	266.05	
78	लालपूर	18	43	3.40	-	3.40	20.00	41.00	61.00	64.40	
79	लखनपूर	24	80	11.50	108.00	119.50	90.00	205.00	295.00	414.50	
80	नेवारीगुड़ा	20	25	14.50	95.00	109.50	15.00	120.00	135.00	244.50	

81	दुल्लापुर	16	7	4.00	-	4.00	-	6.50	6.50	10.50	
82	सिंघनपुरी (सेमो)	24	7	3.50	4.00	7.50	0.00	2.00	2.00	9.50	
83	सोनबरसा	20	32	17.00	14.12	31.12	22.00	27.65	49.65	80.77	
84	गदहाभाठा	21	6	0.00	0.00	0.00	3.80	2.45	6.25	6.25	
85	बरदुली	22	54	0.00	13.80	13.80	4.00	50.50	54.50	68.30	
86	दुल्लापुर (बरदुली)	24	16	0.00	1.50	1.50	0.00	13.90	13.90	15.40	
87	वारधी	23	50	0.00	2.70	2.70	0.00	51.60	51.60	54.30	
88	सेमो	22	18	0.00	1.70	1.70	1.00	14.40	15.40	17.10	
89	मक्के	24	16	0.00	2.00	2.00	2.00	19.25	21.25	23.25	
90	आंछी	25	20	0.00	0.00	0.00	4.00	34.50	38.50	38.50	
91	कोंको	25	7	0.00	4.75	4.75	0.00	1.50	1.50	6.25	
TOTAL			1669.00	257.59	525.98	783.57	1560.46	1799.69	3360.15	4143.72	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)
सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी
पौधारोपण सत्र 2004–05

जिला – कवर्धा विकासखंड – बोड़ला

क्रं.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मंडलाटोला	8	89	58.00	99.00	157.00	84.30	58.90	143.20	300.20	
2.	सुकवापारा	10	26	21.30		21.30	20.30	24.20	44.50	65.80	
3.	लेंजाखार	5	110	100.00	51.00	151.00	99.00	40.85	139.85	290.85	
4.	खुर्सीपारा	12	50	8.20	9.10	17.30	33.30	48.10	81.40	98.70	
5.	लखनपुर	6	17	24.00	23.00	47.00	55.90	34.55	90.45	137.45	
6.	भर्यटोला.	7	51	22.30	16.15	38.45	35.40	55.60	91.00	129.45	
7.	घोंघा	13	6	4.00	0.00	4.00	7.50	4.00	11.50	15.50	
8.	मुड़ियापारा	8	33	2.50	4.90	7.40	23.10	20.70	43.80	51.20	
9.	नेऊरगांवकला	14	106	3.65	36.60	40.25	32.70	70.03	102.73	142.98	
10.	बोड़ला	10	23	2.00	6.60	8.60	2.00	25.30	27.30	35.90	
11.	लालपुर	11	30	2.50	9.50	12.00	6.00	32.50	38.50	50.50	
12.	नेऊरगांवखुर्द,	7	240	114.10	64.80	178.90	240.15	79.65	319.80	498.70	
13.	खंतीपारा	11	40	5.95	8.55	14.50	21.65	23.15	44.80	59.30	
14.	तरेगांव	12	121	8.25	46.69	54.94	6.20	136.54	142.74	197.68	
15	मानिकपुर	8	112	0.00	14.55	14.55	9.60	164.50	174.10	188.65	
16.	गण्डईखुर्द	15	93	0.50	34.47	34.97	37.65	89.94	127.59	162.56	
17.	बोईरकचरा	20	37	0.00	143.60	143.60	1.00	67.55	68.55	212.15	
18.	कुसुमघटा	11	124	15.60	68.77	84.37	7.82	157.93	165.75	250.12	
19.	खुरमुण्डा	15	8	0.00	3.80	3.80	5.30	15.25	20.55	24.35	
20.	सिल्हाटी	6	163	0.00	67.95	67.95	7.00	297.63	304.63	372.58	
21.	लोहझरी	15	53	4.70	2.05	6.75	69.30	8.25	77.55	84.30	
22.	उसलापुर	5	59	8.00	91.69	99.69	38.90	168.24	207.14	306.83	

23.	बैहरसरी		9	190	7.40	53.10	60.50	80.20	236.68	316.88	377.38	
24.	बर्घरा		6	91	0.65	46.72	47.37	26.60	115.68	142.28	189.65	
25	सारंगपुरकला		11	194	0.00	114.35	114.35	51.45	226.95	278.40	392.75	
26	मोतिनपुर		17	2	0.00	0.00	0.00	14.90	3.00	17.90	17.90	
27	चंडालपुर		3	10	0.00	8.00	8.00	1.00	3.00	4.00	12.00	
28	चाहटा		14	1	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	
29	तिलईभाट		17	18	0.00	23.00	23.00	5.00	27.25	32.25	55.25	
30	बिसनपुरा		18	40	0.00	37.90	37.90	5.00	29.00	34.00	71.90	
31	रघ्धूपारा		17	11	0.00	7.00	7.00	0.00	12.00	12.00	19.00	
32	जैताटोला		13	5	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
33	खैरबना		15	11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	17.50	
34	राजानवागांव		16	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
35	भालूचुवा		19	2	3.00	0.00	3.00	0.00	14.00	14.00	17.00	
36	मिनमिनिया मै0		18	3	0.00	4.50	4.50	1.50	6.50	8.00	12.50	
37	बद्दो		19	28	0.00	7.50	7.50	2.00	50.00	52.00	59.50	
38	पोंडी		3	46	57.20	10.40	67.60	84.75	2.00	86.75	154.35	
39	प्रभाटोला		2	6	0.00	1.00	1.00	4.00	14.05	18.05	19.05	
40	बुधवारा		9	4	3.00	5.50	8.50	4.75	0.50	5.25	13.75	
41	रेंहगी		2	1	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
42	परसदा		2	15	22.00	3.50	25.50	21.00	29.40	50.40	75.90	
43	रिवापार		5	14	0.00	6.50	6.50	16.25	9.95	26.20	32.70	
44	खरिया		18	11	0.25	3.50	3.75	2.00	7.50	9.50	13.25	
45	बैजलपुर		26	1	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
46	बोरिया		29	3	0.00	4.00	4.00	0.00	5.50	5.50	9.50	
47	तरसिंग		28	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
48	तरेंगांव ज0		42	1	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	
49	रालो		50	1	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	3.00	
50	मड़मड़ा		19	15	7.00	4.50	11.50	10.50	14.30	24.80	36.30	
51	सिरमी		22	9	7.00	2.50	9.50	6.00	7.50	13.50	23.00	
52	महली		20	14	0.00	4.00	4.00	0.00	58.00	58.00	62.00	

53	कबराटोला	19	44	0.00	35.80	35.80	24.15	50.95	75.10	110.90	
54	खडसरा	19	49	0.50	41.95	42.45	65.75	63.25	129.00	171.45	
55	छांटा	20	18	0.00	2.00	2.00	2.00	15.40	17.40	19.40	
56	भंडार	14	4	0.00	1.00	1.00	0.00	18.00	18.00	19.00	
57	भीरा	17	2	0.00	3.00	3.00	0.00	5.00	5.00	8.00	
58	झलमला	62	2	0.00	1.00	1.00	0.00	0.30	0.30	1.30	
59	चिल्फी	32	2	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	
60	बोल्दाकला	20	27	0.00	6.25	6.25	0.00	44.45	44.45	50.70	
61	बोल्दाखूर्द	19	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62	भोंदा	15	3	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	5.00	
63	अमलीटोला	10	5	0.00	0.80	0.80	0.00	5.00	5.00	5.80	
64	खरहट्टा	12	68	0.00	20.65	20.65	28.50	74.45	102.95	123.60	
65	भरेली	15	84	0.00	12.80	12.80	47.00	100.62	147.62	160.42	
66	गण्डईकला	15	75	0.00	18.05	18.05	38.00	94.00	132.00	150.05	
67	कारेसरा	10	85	0.00	13.00	13.00	0.00	141.95	141.95	154.95	
68	खड़ौदाकला	8	101	0.00	38.45	38.45	5.00	155.15	160.15	198.60	
69	हरिनछपरा	3	86	1.00	40.00	41.00	58.43	50.25	108.68	149.68	
70	राम्हेपुर	2	74	1.00	33.30	34.30	43.74	53.39	97.13	131.43	
71											
72											
73											
74											
75											
TOTAL			3069.00	515.55	1429.94	1945.49	1500.54	3395.28	4895.82	6841.31	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी

पौधारोपण सत्र 2004–05

जिला – कवर्धा — विकासखंड – पण्डरिया

क्र.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बोधीपारा	38	2	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2	खैरवारकला	25	59	0.60	23.20	23.80	0.75	71.35	72.10	95.90	
3	नवागांव गंजरी	25	32	-	-	0.00	0.50	34.60	35.10	35.10	
4	छीतापार कला	30	34	-	4.05	4.05	0.50	53.85	54.35	58.40	
5	हथमुड़ी	40	14	-	-	0.00	-	17.60	17.60	17.60	
6	केसलमरा	45	17	-	3.50	3.50	-	16.30	16.30	19.80	
7	जंगलपुर	23	83	25.75	32.20	57.95	33.50	122.81	156.31	214.26	
8	राघा	25	24	-	16.60	16.60	1.00	72.32	73.32	89.92	
9	रैतापारा	18	35	14.00	15.00	29.00	58.50	8.00	66.50	95.50	
10	संडी	18	20	-	3.00	3.00	23.37	-	23.37	26.37	
11	अंधियारखोर	20	21	-	1.00	1.00	67.50	-	67.50	68.50	
12	प्रतापपुर	22	19	-	1.00	1.00	58.10	-	58.10	59.10	
13	मोहगांव	20	29	3.50	5.10	8.60	29.50	27.40	56.90	65.50	
14	लालपुर	22	13	-	2.00	2.00	-	27.30	27.30	29.30	
15	पाण्डात्राई	15	39	5.00	11.00	16.00	22.00	65.55	87.55	103.55	
16	सरइपतेरा	17	38	-	4.00	4.00	14.00	58.07	72.07	76.07	
17	चरखुरा कला	16	16	-	6.75	6.75	1.00	32.75	33.75	40.50	
18	नवागांव कला	16	5	-	-	0.00	30.46	29.00	59.46	59.46	
19	डोंगरिया कला	17	25	-	0.50	0.50	19.08	1.50	20.58	21.08	
20	नवापारा	18	42	-	7.00	7.00	-	50.55	50.55	57.55	
21	चारभाटा कला	18	52	-	7.80	7.80	-	65.50	65.50	73.30	
22	लडुवा	25	14	-	-	0.00	-	20.07	20.07	[illegible]	

23	भलपहरी	22	18	-	7.00	7.00	-	37.00	37.00	44.00	
24	घोरपण्ड्री	36	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	
25	अखरा	35	-	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	
26	बसनी	36	1	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
27	पेण्ड्रीकला	34	19	10.00	9.40	19.40	20.00	37.10	57.10	76.50	
28	लोखान	38	10	1.00	4.65	5.65	0.00	20.50	20.50	26.15	
29	कुण्डा	42	20	7.40	23.20	30.60	4.60	13.60	18.20	48.80	
30	टाटाकसा	37	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	
31	अतरिया खुर्द	40	1	0.00	0.50	0.50		0.00	0.00	0.50	
32	माकरी	36	10	0.00	7.50	7.50	30.00	33.50	63.50	71.00	
33	रेहँटा कला	32	11	0.00	3.54	3.54	0.00	5.20	5.20	8.74	
34	सुरजपुरा कला	32	1	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
35	खैलटुकरी	35	19	0.00	4.08	4.08	0.00	16.18	16.18	20.26	
36	देवगढ़िया	54	1	0.00	0.60	0.60	0.00	0.20	0.20	0.80	
37	भरेवापुरन	60	3	0.00	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	5.00	
38	कंवलपुर	62	1	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
39	पलानसरी	22	112	2.00	3.00	5.00	175.80	54.95	230.75	235.75	
40	पुतकी	17	28	-	6.95	6.95	30.80	11.55	42.35	49.30	
41	चारभाठा	16	65	13.00	6.70	19.70	84.64	40.00	124.64	144.34	
42	दशरंगपुर	17	31	-	5.80	5.80	18.65	16.17	34.82	40.62	
43	परसवारा	22	57	5.70	25.30	31.00	17.57	35.15	52.72	83.72	
44	मोहतरा कला	25	-	-	2.00	2.00	1.50	94.05	95.55	97.55	
45	सोढ़ा	17	-	-	-	0.00	-	1.50	1.50	1.50	
46	कांपा	22	-	-	-	0.00	-	2.00	2.00	2.00	
47	धनेली	25	-	-	-	0.00	-	27.15	27.15	27.15	
48	कोलेगांव	26	-	5.00	5.00	10.00	-	74.40	74.40	84.40	
49	पीपरमाटी	25	-	8.80	8.80	17.60	-	31.70	31.70	49.30	
50	कझेटा	26	-	-	0.50	0.50	6.00	24.70	30.70	31.20	
51	रूसे	20	-	-	34.60	34.60	19.15	157.35	176.50	211.10	
52	कारीमाटी	20		-	4.05	4.05	-	30.92	30.92	31.07	

53	भगतपुर	23			11.40	11.40	4.75	42.12	46.87	58.27	
54	कुम्ही	32	28	-	6.00	6.00	21.15	6.85	28.00	34.00	
55	मूनजूकांपा	31	4	-	1.50	1.50	7.50	-	7.50	9.00	
56	कोयलारी कांपा	28	13	1.00	5.50	6.50	4.00	7.25	11.25	17.75	
57	धोपखटी	31	25	-	3.00	3.00	2.00	22.25	24.25	27.25	
58	पडकीकला	33	14	-	3.34	3.34	-	11.73	11.73	15.07	
59	नवागांव दहरा	30	6	-	7.00	7.00	-	1.15	1.15	8.15	
60	डोमसरा	30	14	-	5.40	5.40	-	14.05	14.05	19.45	
61	पीपरखूंटी	32	1	-	-	0.00	-	10.00	10.00	10.00	
62	बेलमुड़ा	30	10	-	6.30	6.30	-	6.24	6.24	12.54	
63	खरहटटा	34	41	0.50	2.30	2.80	7.25	31.66	38.91	41.71	
64	बोड़तरा	22	5	4.00	5.31	9.31	0.50	7.55	8.05	17.36	
65	किशुनगढ़	32	33	1.00	22.50	23.50	-	47.00	47.00	70.50	
66	रमतला	29	28	-	5.80	5.80	-	50.80	50.80	56.60	
67	पण्डीखुर्द	33	15	-	3.00	3.00	-	20.50	20.50	23.50	
68	मोहतरा खुर्द	27	28	-	5.00	5.00	10.10	23.60	33.70	38.70	
69	सेरमाडबरी	28	24	-	7.00	7.00	-	46.50	46.50	53.50	
70	प्राणकांपा	48	2	-	0.50	0.50	-	1.50	1.50	2.00	
71	खैरझिटी	40	1	-	0.50	0.50	-	-	0.00	0.50	
72	पुसेरा	27	28	-	11.50	11.50	27.55	35.80	63.35	74.85	
73	डोमनपुर	36	3	-	3.00	3.00	-	2.00	2.00	5.00	
74	भेरवापारा	60	2	-	-	0.00		1.00	1.00	1.00	
75	सैगौना डीह	34	1	-	2.00	2.00	-	-	0.00	2.00	
76	सोमनापुर	39	9	-	4.00	4.00	-	4.00	4.00	8.00	
77	झिरियाकला	33	23	-	6.50	6.50	-	26.00	26.00	32.50	
78	झिरिया खुर्द	31	5	-	3.00	3.00	-	5.00	5.00	8.00	
79	बाघामुड़ा	35	18	-	7.00	7.00	4.00	15.25	19.25	26.25	
80	सांवतपुर	43	18	-	21.85	21.85	-	3.00	3.00	24.85	
81	कापादाह	40	10	-	6.50	6.50	-	5.50	5.50	12.00	
82	पुतलीखुर्द	42	4	-	0.50	0.50	-	4.00	4.00	4.50	

83	कोड़ापुरी	35	9	-	3.32	3.32	-	8.40	8.40	11.72	
84	बर्घरा	34	7	-	3.70	3.70	-	4.80	4.80	8.50	
85	भैंसबोड़	34	15	-	10.50	10.50	-	14.25	14.25	24.75	
86	नवागांव मुसउ	35	30	-	-	0.00	-	37.26	37.26	37.26	
87	पौनी	34	43	-	25.95	25.95	-	53.25	53.25	79.20	
88	सुरजपुरा	32	20	-	17.45	17.45	-	32.70	32.70	50.15	
89	दुल्लापुर	32	12	-	16.00	16.00	6.80	18.00	24.80	40.80	
90	नानपुरी	30	12	-	0.50	0.50	-	23.27	23.27	23.77	
91	बनियाकुबा	32	14	-	1.00	1.00	-	19.70	19.70	20.70	
92	तिलईभाठ	34	26	-	8.50	8.50	-	29.65	29.65	38.15	
93	रेंगाबोर्ड	34	7	-	3.80	3.80	-	18.00	18.00	21.80	
94	नहली	31	16	-	10.80	10.80	-	15.35	15.35	26.15	
95	महका	37	3	-	3.50	3.50	-	1.50	1.50	5.00	
96	नरौली	36	4	-	7.00	7.00	-	2.25	2.25	9.25	
97	पण्ड[illegible]	23	20	-	6.05	6.05	-	37.85	37.85	43.90	
98	मैनपुरा	24	13	2.50	1.70	4.20	3.60	14.50	18.10	22.30	
99	रेहुटा	26	8	-	0.50	0.50	1.50	7.75	9.25	9.75	
100	सोनपुरी	26	5	3.00	-	3.00	-	2.20	2.20	5.20	
101	रोहरा		8	-	7.40	7.40	-	6.80	6.80	14.20	
102	बांधा		28	14.50	6.35	20.85	3.00	34.15	37.15	58.00	
103	सिंगारपुर	24	1	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	
104	रौंहा	23	26	-	17.90	17.90	5.00	28.90	33.90	51.80	
105	कुवाखुर्द	26	5	-	2.50	2.50	-	14.00	14.00	16.50	
106	बिशेसरा	23	26	-	24.50	24.50	-	28.50	28.50	53.00	
107	नवापारा	25	7	-	14.50	14.50	-	6.00	6.00	20.50	
108	धूतपुर	25	5	0.50	6.50	7.00	3.50	8.75	12.25	19.25	
109	तेंदुआडीह	25	6	-	5.50	5.50	-	0.70	0.70	6.20	
110	देवपुरा	29	12	-	0.50	0.50	-	24.50	24.50	25.00	
111	सोमनापुर	39	6	-	7.25	7.25	3.75	2.25	6.00	13.25	
112	सैहामालगी	40	5	-	-	0.00	7.50	7.65	15.15	15.15	

113	कोयलारी कांपा	45	8	-	1.50	1.50	-	29.90	29.90	31.40	
114	भटरूसे	30	4	0.70	-	0.70	3.10	4.50	7.60	8.30	
115	पथरी	30	21	-	4.25	4.25	-	20.68	20.68	24.93	
116	मोतेसरा	42	11	-	3.20	3.20	-	9.40	9.40	12.60	
[illegible]7	[illegible]	32	27	-	6.20	6.20	1.00	20.37	21.37	27.57	
[illegible]	सेमरकोना	42	5	-	6.25	6.25	-	1.00	1.00	7.25	
119	गांबरा	50	2	-	-	0.00	-	2.00	2.00	2.00	
120	गोदवाकला	32	15	-	2.25	2.25	1.00	20.40	21.40	23.65	
121	पटवा	55	7	-	-	0.00	-	10.05	10.05	10.05	
122	प्राण खैरा	52	6	-	0.80	0.80	-	5.80	5.80	6.60	
123	बंशापुर	53	2	-	-	0.00	-	2.00	2.00	2.00	
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
TOTAL			1962.00	129.45	722.29	851.74	897.02	2623.67	3520.69	4372.43	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी

पौधारोपण सत्र 2004—05

जिला — कवर्धा विकासखंड — स/लोहारा

क्र.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1	हथलेवा	33	1	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2.	कोहड़िया	38	2	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	
3.	धनगांव	55	2	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	4.00	
4.	हरदी	45	1	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	
5.	दाजारचारभांठा	35	1	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55	1.55	
6	विरेन्द्र नगर	0	3	10.00	0.00	10.00	56.00	0.00	56.00	66.00	
7.	भाटकुडेरा	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
8.	भंसबोर्ड	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	
9.	नरोही	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
10.	टाटीकसा	48	2	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
11.	गोछिया	45	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
12.											
13.											
14.											
15.											
	योग		17	19.85	2.00	21.85	61.55	7.00	68.55	90.40	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी

पौधारोपण सत्र 2004–05

जिला – दुर्ग विकासखंड – बेमेतरा

क्र.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1	वहेरा	52	1	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	
2	बैजी	54	1	35.00	0.00	35.00	18.00	0.00	18.00	53.00	
3	चारभांठा	65	7	77.00	0.00	77.00	75.00	0.00	75.00	152.00	
4	मानपुर	62	1	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50	9.50	
5	चोरभटठी	67	7	16.00	0.00	16.00	70.00	0.00	70.00	86.00	
6	भुरकी	72	2	1.00	0.00	1.00	46.00	0.00	46.00	47.00	
7	झाल	70	3	4.00	6.00	10.00	23.00	0.00	23.00	33.00	
8	चमारी	69	1	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	
9	भंडरबठा	70	3	5.00	0.00	5.00	14.00	0.00	14.00	19.00	
10	पेण्ड्रीतराई	74	1	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	
11	बिलई	67	5	15.00	0.00	15.00	33.00	0.00	33.00	48.00	
12	कोबियाभाठा	63	3	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	
13	तेंदुभाठा	65	1	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	
14	जेवरी	72	1	14.00	0.00	14.00	12.00	0.00	12.00	26.00	
15	गांगपुर	64	5	19.00	0.00	19.00	84.00	0.00	84.00	103.00	
16	मोहभटठा	62	1	8.00	0.00	8.00	29.00	0.00	29.00	37.00	
17	बहिंगा	75	1	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	10.00	
18	बहुंनवागांव	64	4	75.00	0.00	75.00	35.00	0.00	35.00	110.00	
19	बोरिया	55	1	6.00	0.00	6.00	2.00	0.00	2.00	8.00	
20	नवलपुर		3	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	
21	बीजाभाट	64	2	5.00	0.00	5.00	19.00	0.00	19.00	24.00	
22	फरी	66	3	50.00	0.00	50.00	24.00	0.00	24.00	74.00	
23	माईनाभाठा	65	3	82.00	0.00	82.00	53.00	0.00	53.00	135.00	
24	मुड़पार	66	1	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

25	भैंसा	73	3	5.00	0.00	5.00	80.00	0.00	80.00	85.00	
26	मटका	62	3	17.00	0.00	17.00	32.00	0.00	32.00	49.00	
27	बसनी	70	4	10.00	0.00	10.00	78.00	0.00	78.00	88.00	
28	कुसमी	78	4	30.00	0.00	30.00	9.00	0.00	9.00	39.00	
29	रावलपुर	77	1	3.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	7.00	
30	नरी	72	1	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	6.00	
31	पीपरभठा	67	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
32	बहेरा	68	1	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	
33	कारेसरा	49	3	20.00	0.00	20.00	13.00	0.00	13.00	33.00	
34	बुनरबोर्ड	64	1	12.00	0.00	12.00	10.00	0.00	10.00	22.00	
35	केंवाछी	60	3	2.00	0.00	2.00	1.50	0.00	1.50	3.50	
36	ताला	72	1	12.00	0.00	12.00	6.00	0.00	6.00	18.00	
37	ढोकला	73	1	2.00	0.00	2.00	8.00	0.00	8.00	10.00	
38	बेतर	42	2	17.00	0.00	17.00	6.00	0.00	6.00	23.00	
39	कोसा	74	2	4.00	0.00	4.00	19.00	0.00	19.00	23.00	
40	पेण्ड्री	70	5	13.50	0.00	13.50	9.50	0.00	9.50	23.00	
41	पथर्रा	73	3	4.00	0.00	4.00	21.00	0.00	21.00	25.00	
42	मोहलाइ	78	1	8.00	0.00	8.00	2.00	0.00	2.00	10.00	
43	जेवरा	76	3	45.00	0.00	45.00	14.00	0.00	14.00	59.00	
44	सैगौना	48	1	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	10.00	
45	अमोरा	67	2	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	
46											
47											
	योग		107	628.50	6.00	634.50	969.75	65.00	1034.75	1669.25	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)
सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी
पौधारोपण सत्र 2004–05

जिला – दुर्ग

विकासखंड – नवागढ़

क्रं.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1.	गांगपुर	85	1	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	
2.	औराबांधा	92	1		5.00	5.00	10.00	15.00	25.00	30.00	
3.	संबलपुर	93	1	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	6.50	
4.	पुरान	96	1	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	
5.	भदराली	97	2	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	
6.	दूल्लापुर	94	1	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	
	योग		7	0.00	5.00	5.00	44.50	15.00	59.50	64.50	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी

पौधारोपण सत्र 2004–05

जिला – दुर्ग

विकासखंड – साजा

क्र.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1	कोदवा	75	4	14.50	0.00	14.50	16.00	0.00	16.00	30.50	
2	गोपालपुर	60	3	4.25	0.00	4.25	1.25	0.00	1.25	5.50	
3	बनराका	60	4	4.00	0.00	4.00	10.50	0.00	10.50	14.50	
4	साजा	75	4	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	59.00	
5	परपोड़ी	70	4	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	63.00	
6	बचेड़ी	90	4	5.00	0.00	5.00	51.00	0.00	51.00	56.00	
7	परसबोर्ड	80	1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	
8	खैरझिटी	65	4	11.00	0.00	11.00	5.00	0.00	5.00	16.00	
9	कांपा	70	1	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
		–									
	योग		29	42.75	0.00	42.75	235.75	0.00	235.75	278.50	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी

पौधारोपण सत्र 2004—05

जिला — दुर्ग

विकासखंड — बेरला

क्रं.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग.		
1	हथपान	95	1	-	17.00	17.00	0.00	8.00	8.00	25.00	
2	तारालीम	80	1	-	11.00	11.00	0.00	5.00	5.00	16.00	
3	बेरला	85	4	18.00	-	18.00	100.00	0.00	100.00	118.00	
4	नवागांव	70	2	50.00	-	50.00	60.00	0.00	60.00	110.00	
5	सोढ़	95	2	0.00	44.00	44.00	0.00	18.00	18.00	62.00	
6	पत्थरपूंजी	101	4	0.00	151.00	151.00	0.00	49.00	49.00	200.00	
7	लिमाही	90	9	0.00	101.50	101.50	0.00	30.00	30.00	131.50	
8	गिरहोला	115	3	0.00	145.00	145.00	0.00	40.00	40.00	185.00	
9	कुसमी	75	2	0.00	4.00	4.00	0.00	18.00	18.00	22.00	
10	सरोली	80	3	0.00	22.00	22.00	0.00	30.00	30.00	52.00	
11	खुरमुड़ा	80	1	0.00	65.00	65.00	0.00	15.00	15.00	80.00	
12	पिपरोलडीह	90	1	0.00	30.00	30.00	0.00	25.00	25.00	55.00	
13	सरदा	85	1	0.00	4.00	4.00	0.00	5.00	5.00	9.00	
14	देवरी	90	1	0.00	10.00	10.00	0.00	15.00	15.00	25.00	
15	लंहगा	91	4	0.00	50.00	50.00	0.00	20.00	20.00	70.00	
16	सिलघट	85	1	0.00	20.00	20.00	0.00	5.00	5.00	25.00	
17	परपोड़ा	90	2	0.00	10.00	10.00	0.00	16.00	16.00	26.00	
18	राखी	92	2	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	60.00	
19	बचेड़ी	95	1	0.00	12.00	12.00	0.00	8.00	8.00	20.00	
20	मुड़मुड़ा	80	2	0.00	28.00	28.00	0.00	32.00	32.00	60.00	
21	कपसदा	85	1	0.00	23.00	23.00	0.00	17.00	17.00	40.00	
22	अगार	90	1	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
23	देवकर	90	1	0.00	32.00	32.00	0.00	8.00	8.00	40.00	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

सर्वे रिपोर्ट क्री विस्तृत जानकारी

पौधारोपण सत्र 2004—05

जिला — दुर्ग

विकासखंड — बेरला

क्रं.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1	हथपान	95	1	-	17.00	17.00	0.00	8.00	8.00	25.00	
2	तारालीम	80	1	-	11.00	11.00	0.00	5.00	5.00	16.00	
3	बेरला	85	4	18.00	-	18.00	100.00	0.00	100.00	118.00	
4	नवागांव	70	2	50.00	-	50.00	60.00	0.00	60.00	110.00	
5	सोढ़	95	2	0.00	44.00	44.00	0.00	18.00	18.00	62.00	
6	पत्थरपूंजी	101	4	0.00	151.00	151.00	0.00	49.00	49.00	200.00	
7	लिमाही	90	9	0.00	101.50	101.50	0.00	30.00	30.00	131.50	
8	गिरहे[illegible]	115	3	0.00	145.00	145.00	0.00	40.00	40.00	185.00	
9	कुसमी	75	2	0.00	4.00	4.00	0.00	18.00	18.00	22.00	
10	सरोली	80	3	0.00	22.00	22.00	0.00	30.00	30.00	52.00	
11	खुरमुड़ा	80	1	0.00	65.00	65.00	0.00	15.00	15.00	80.00	
12	पिपरोलडीह	90	1	0.00	30.00	30.00	0.00	25.00	25.00	55.00	
13	सरदा	85	1	0.00	4.00	4.00	0.00	5.00	5.00	9.00	
14	देवरी	90	1	0.00	10.00	10.00	0.00	15.00	15.00	25.00	
15	लंहगा	91	4	0.00	50.00	50.00	0.00	20.00	20.00	70.00	
16	सिलघट	85	1	0.00	20.00	20.00	0.00	5.00	5.00	25.00	
17	परपोड़ा	90	2	0.00	10.00	10.00	0.00	16.00	16.00	26.00	
18	राखी	92	2	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	60.00	
19	बचेड़ी	95	1	0.00	12.00	12.00	0.00	8.00	8.00	20.00	
20	मुड़मुड़ा	80	2	0.00	28.00	28.00	0.00	32.00	32.00	60.00	
21	कपसदा	85	1	0.00	23.00	23.00	0.00	17.00	17.00	40.00	
22	अगार	90	1	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
23	देवकर	90	1	0.00	32.00	32.00	0.00	8.00	8.00	40.00	

24	आनंदगांव	95	2	0.00	37.00	37 00	0.00	18.00	18.00	55.00	
25	लंजवारा	85	1	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
26	सांकरा	80	1	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
27	अतरगढ़ी	65	1	0.00	22.00	22.00	0.00	8.00	8.00	30.00	
[illegible]	सण्डो	75	1	0.00	12.00	12.00	0.00	8.00	8.00	20.00	
29	बारगांव	85	1	0.00	6.00	6.00	0.00	4.00	4.00	10.00	
30	हरदी	89	1	0.00	15.00	15.00	0.00	25.00	25.00	40.00	
31	नेवनारा	92	2	0.00	50.00	50.00	0.00	15.00	15.00	65.00	
32	उखरा	87	1	0.00	14.00	14.00	0.00	16.00	16.00	30.00	
33	बाशा	82	1	0.00	20.00	20.00	0.00	8.00	8.00	28.00	
34	बलौदी	88	1	0.00	60.00	60.00	0.00	10.00	10.00	70.00	
35	गाड़ामांड़	95	1	0.00	47.00	47.00	0.00	13.00	13.00	60.00	
36	खमतराई	80	1	0.00	25.00	25.00	0.00	5.00	5.00	30.00	
37	घटियाडीह	97	2	0.00	68.00	68.00	0.00	10.00	10.00	78.00	
38	करामाल	95	3	0.00	59.00	59.00	0.00	46.00	46.00	105.00	
TOTAL			70.00	68.00	1279.50	1347.50	160.00	610.00	770.00	2117.50	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी

पौधारोपण सत्र 2004–05

जिला – राजनांदगाव

विकासखंड – खैरागढ़

क्रं.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1.	कोहकाबोड़		1	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2.	मारूटोला		1	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	
3.	सोनेसरार		1	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	1.25	
4.	धनेली		1	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	1.50	
	TOTAL		**4.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**3.75**	**1.00**	**4.75**	**5.75**	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी

पौधारोपण सत्र 2004–05

जिला – राजनांदगांव विकासखंड – छुईखदान

क्रं.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1.	छुईखदान	65	3	–	5.00	5	12.00	–	12	17	
2.	बिरूटोला	67	3	–	–	–	12.00	–	12	12	
3.	खपरी	68	4	–	9.00	9	18.00	–	18	27	
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
TOTAL			10.00	–	14.00	14	42.00	–	42	56	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)
सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी
पौधारोपण सत्र 2004—05

जिला — बिलासपुर विकासखंड — मुंगेली

क्रं.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1	मुगेली	60.00	2	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2	औराबांधा	75.00	5	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	
4	छीतापुर	75.00	1	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	
6	कोदुकांपा	73.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	3.75	
7	बुदेली	74.00	4	0.00	1.25	1.25	0.00	5.00	5.00	6.25	
9	सकुरीकांपा	75.00	1	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	1.25	
10	संगवाकांपा	75.00	3	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
11	देवरी	66.00	4	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	5.00	
12	बेहाकांपा	70.00	3	0.00	2.50	2.50	1.25	0.00	1.25	3.75	
15	दाबो	55.00	2	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
19	भुनियापारा	60.00	6	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
20	बीजातरई	55.00	3	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	
21	पौनी	60.00	6	3.75	0.00	3.75	7.00	0.00	7.00	10.75	
24	झलियापुर	65.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	
26	राजपुर	50.00	6	0.00	3.25	3.25	1.00	3.25	4.25	7.50	
27	केशरीकला	55.00	8	0.00	4.00	4.00	0.00	11.00	11.00	15.00	
28	भद्राली	57.00	15	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	
29	धनगांव	55.00	2	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
32	बौधापारा	72.00	2	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
33	प्रतापपुर	55.00	3	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	
35	दामापुर	60.00	3	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
36	चोव. बुदेली	70.00	4	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
38	केसतरा	76.00	4	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

41	बांकी	50.00	12	10.00	0.00	10.00	0.00	7.50	7.50	17.50	
42	सोनपुरी	55.00	4	3.75	0.00	3.75	2.50	0.00	2.50	6.25	
43	तुलसीकांपा	65.00	12	12.50	0.00	12.50	10.00	0.00	10.00	22.50	
44	चमारी	55.00	5	5.00	0.00	5.00	0.00	2.50	2.50	7.50	
46	छटन	57.00	18	0.00	37.00	37.00	0.00	5.00	5.00	42.00	
47	समेरकोना	68.00	8	0.00	7.50	7.50	0.00	5.00	5.00	12.50	
48											
49											
50											
	योग		**152**	**38.75**	**93.50**	**132.25**	**83.00**	**55.50**	**138.50**	**270.75**	

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी

पौधारोपण सत्र 2004–05

जिला – बिलासपुर

विकासखंड – लोरमी

क्रं.	सर्वे ग्राम	कारखाना से दूरी कि0मी0 में	कृषकों की संख्या	खुंटी गन्ना क्षेत्र एकड़ में			नया गन्ना क्षेत्र एकड़ में			कूल गन्ना क्षेत्र	रिमार्क
				उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग	उन्नत किस्म	स्थानिय किस्म	योग		
1.	सालेघौरी	68.00	25	2.00	14.50	16.5	10.00	41.50	51.5	68	
2.	पर्थरा		13	2.00	7.50	9.5	5.50	18.00	23.5	32	
3.	डिडौरी		10	-	4.00	4	7.50	20.50	21	25	
4.	सहसपुर		3	-	3.00	3	-	3.00	3	6	
5.	घटौली		7	2.50	13.50	16	-	7.50	7.5	23.5	
6.	मेघापारा		8	1.50	2.00	3.5	2.00	8.00	10	13.5	
7.	बोड़तरा		3	3.00	12.00	15	9.00	32.00	41	56	
8.	फूलवारी		11	0.50	2.00	2.5	3.50	8.50	12	14.5	
9.	भस्करा		1	-	2.00	2	-	-	0	2	
10.	तेलीमाहतरा		5	-	2.00	2	-	1.50	1.5	3.5	
11.	सुकली		1	1.50	2.50	4	-	-	0	4	
12.	विचारपुर		3	0.50	1.00	1.5	-	-	0	1.5	
TOTAL				13.50	66.00	79.50	37.50	140.50	171.00	249.50	

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

"प्रारूप ख"

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-67/2005-06/ग्राम-तमनार एवं अन्य ग्राम.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम राबों तहसील घरघोड़ा जिला-रायगढ़ से पानी परिवंहन हेतु ग्राम तमनार तह. घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स जिंदल पावर लिमि. द्वारा भूमिगत पाइप लाइन बिछायी जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 (इक्कीस) दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ. ग.) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

जनमेजय महोबे,
सक्षम प्राधिकारी.

भूमिगत पाइप लाइन हेतु सर्वे सूची

ग्राम सलिहाभांठा, प. ह. नं. 32, रा. नि. मं. तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कृपाराम रावत	530/4	0.490	0.101	खार
2.	भोलाराम रावत	530/1	1.416	0.028	खार
3.	भोलाराम रावत	530/602/1	0.097	0.008	खार
4.	मोतीराम कंवर	528/8	0.275	0.024	खार
5.	मनबोध कंवर	528/11	0.138	0.024	खार
6.	नानूराम कंवर	528/6	0.251	0.032	खार
7.	जगमोहन कंवर	528/7	0.121	0.028	खार
8.	प्रमो गोंड	526	0.231	0.024	खार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	कनीराम अघरिया	524/4	0.927	0.008	खार
10.	हरिराम अघरिया	520/6	1.100	0.110	खार
11.	चम्पा बाई रावत	520/2	0.178	0.045	खार
12.	रामप्रसाद रावत	520/7	0.324	0.028	खार
13.	हरिराम अघरिया	520/4	0.279	0.016	खार
14.	कृपाराम रावत	530/602/3	0.061	0.012	खार
	योग			**0.488**	

ग्राम - तमनार, प. ह. नं. 38, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खीरोबाई, धीरोबाई पि. जगतराम तेली.	453	0.227	0.032	खार
2.	कमला वगै. जाति तेली	454/1	0.162	0.031	खार
3.	व्रन्दावती जौ. ओमप्रकाश तेली	454/2	0.283	0.031	खार
4.	परखीत वगै. जाति तेली	455	0.363	0.032	खार
	योग			**0.126**	

ग्राम बासनपाली, प. ह. नं. 37, रा. नि. मं. तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पदमावती वगै. तेली	514/1	0.749	0.019	बहला
2.	भुकनंदन पि. पुरन तेली	510/1	0.061	0.035	बहला
3.	भुकनंदन तेली	509	0.409	0.012	टिकरा
4.	भुकनंदन उरांव	506/1	0.202	0.051	टिकरा
5.	महेश व. भुकनंदन उरांव	503/1	0.259	0.035	टिकरा
6.	ईश्वर प्रसाद तेली	500	0.207	0.035	बहला
7.	उमाशंकर	501	0.198	0.008	बहला
8.	गोकुल प्रसाद तेली	442/2	0.146	0.036	खार
9.	भजोराम तेली	442/3	0.15	0.024	खार
10.	खीरसिन्धु तेली	442/4	0.192	0.008	खार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	ईश्वर प्रसाद तेली	442/1	0.142	0.012	खार
12.	जगन्नाथ स्वामी	444/1	0.943	0.024	खार
13.	जगन्नाथ स्वामी	444/2	0.028	0.024	खार
14.	उसतराम गोंड	377/1, 348/1	3.456	0.163	बहला
15.	ललीत वगै. गोंड	350/3	1.214	0.096	बहला
16.	पुरूषोत्तम तेली	374/4	0.275	0.008	बहला
17.	रामप्रसाद बराई	350/15	0.142	0.022	बहला
18.	चैतराम पि. कृपासिन्धु तेली	362/5	0.119	0.019	बहला
19.	घसिया पि. कृपासिन्धु तेली	362/6	0.376	0.019	बहला
20.	घासीराम वगै. कुम्हार	366/1	0.113	0.036	खार
21.	संतराम कुम्हार	366/3	0.275	0.036	खार
22.	गंरवारी बाई कुम्हार	366/4	0.19	0.036	खार
23.	सुरजो कुम्हार	366/5	0.207	0.036	खार
24.	ललीत सिंह वगै. गोंड	282/1	0.145	0.024	खार
25.	गोरे लाल बराई	282/9	0.405	0.009	खार
26.	रामप्रसाद बराई	282/7	0.219	0.014	खार
27.	पालुराम वगै. गोंड	281	0.906	0.07	बहला
28.	मनधर उरांव तमनार	264/3	0.505	0.056	बहला
29.	सन्तोप अघरिया	273/1	0.205	0.008	बहला
30.	खीरसिन्धु तेली	272/4	0.243	0.044	बहला
31.	छविलो उर्फ रविनंदन	250/2	0.405	0.025	बहला
32.	सन्तोप अघरिया	250/3	0.15	0.025	खार
33.	घसीया वगै. गाडा	247/1	1.756	0.055	खार
34.	विनोदनी वगै. महती	246	0.676	0.051	खार
35.	पुरंजन अघरिया	244/1	0.567	0.051	खार
36.	रामप्रसाद व. घसीया रामलाल व. घसीया रावत सलिहाभांठा.	245/1	0.156	0.032	खार
37.	रामप्रसाद व. घसीया रामलाल व. घसीया रावत सलिहाभांठा	245/2	0.357	0.022	खार
38.	सन्तोप अघरिया	265/1.	0.304	0.040	बहला
39.	संदर्शन अघरिया	265/2	0.323	0.052	बहला
40.	गिरधारी अघरिया	265/3	0.202	0.052	बहला
41.	पद्मलोचन अघरिया	265/4	0.203	0.040	बहला
42.	सुदर्शन अघरिया	266/1	0.178	0.008	बहला
43.	सिन्धु तेली.	374/2	0.109	0.008	बहला
44.	साहेब राम तेली	374/3	0.275	0.009	बहला
	योग			1.479	

ग्राम गोढी, प. ह. नं. 38, रा. नि. मं. तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	धनमेत बेवा कमलणर रावत	71	2.055	0.064	खार
2.	गुणनिधी, कौशल देवांगन वगै.	128/1 क	1.703	0.056	खार
3.	लिंगराज व. मंशी महती	129/2	0.284	0.082	खार
4.	लिंगराज महती	130/1	0.025	0.014	टिकरा
5.	कादरू व. चमरू	130/2	0.121	0.014	बहला
6.	मधुसुदन बानी	132/1	0,778	0.073	बहला
7.	मोहन लाल वगै. अघरिया	143	0.624	0.064	खार
8.	पद्मलोचन वगै. कंवर	144/1	0.477	0.024	खार
9.	लुया व. पीलाराम गोंड	144/2	0.587	0.008	खार
10.	मरियानुस पि. फ्रासीस वगै. उरांव	144/3	0.445	0.080	खार
11.	बड़खदाई वगै. गोंड	152/1	1.786	0.028	टिकरा
12.	मधुसुदन बानी	154	0.328	0.016	खार
13.	खेमसिंह गोंड	155	0.368	0.041	खार
14.	खेमसिंह गोंड	163/1	1.115	0.128	बहला
15.	मोहन लाल वगै. अघरिया	165/1; 166/2	2.445		
			0.040	0.147	बहला
16.	निलाम्बर व. पिलाउ गोंड	221	0.219	0.032	खार
17.	बीना, लेढा मदन, सदन, पि. श्यामसुन्दर गोंड.	222	0.417	0.057	खार
18.	जगन्नाथ स्वामी के तरफ से सुरेशदास वगै. बाबा	225	0.845	0.044	खार
19.	चन्द्रभान सिंह गोंड	228	0.21	0.028	खार
20.	सगुना बाई वगै. गोंड	230	0.169	0.035	बहला
21.	कपिल कुंवर जौ. लक्ष्मण वगै. गाडा	231	0.393	0.044	बहला
22.	चन्द्रभान सिंह गोंड	235/2, 235/3	0.004		
			0.004		
		260	0.231	0.012	टिकरा
23.	चन्द्रभान सिंह गोंड	217	1.157	0.025	खार
24.	लखन वगै. महती	217/630	0.166	0.031	खार
25.	चंदन वगै. नाई	240	0.271	0.083	खार
26.	सगुना बाई वगै. गोंड	241/1 क	0.231	0.017	खार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	उत्तराबाई वगै. गोंड	241/1 ख	0.073	0.017	खार
28.	जयपाल वगै. महती	243	0.267	0.60	बहला
29.	जयपाल वगै. महती	244	-0.413	0.016	बहला
30.	बडखदाई वगै. गोंड	245/1	0.376	0.086	वहला
	योग			1.426	

ग्राम आमाघाट, प. ह. नं. 37, रा. नि. मं. तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आनन्दराम/गोविन्द वगै. कंवर	24/3	0.243	0.034	टिकरा
2.	सुकमति बेवा तिलेराम वगै. कंवर	24/5	0.223	0.006	टिकरा
3.	दिलसाय/आशाराम वगै. कंवर	24/4	0.223	0.044	टिकरा
4.	लक्ष्मण वगै. कंवर	36	0.239	0.051	टिकरा
5.	अमल सिंह/मायाराम वगै. कंवर	37	0.34	0.064	टिकरा
6.	महेत्तर वगै. कंवर	38	0.17	0.038	टिकरा
7.	चैतराम वगै. कंवर	41	0.721	0.089	टिकरा
8.	आनन्दराम वगै. कंवर	47/4	0.247	0.004	टिकरा
9.	करम सिंह वगै. कंवर	56	0.259	0.008	टिकरा
10.	सहदेव कंवर	57	0.202	0.006	टिकरा
11.	अमल सिंह वगै. कंवर	58	0.308	0.008	टिकरा
12.	सहदेव कंवर	59	0.486	0.012	टिकरा
13.	चैतराम वगै. कंवर	60	0.364	0.016	टिकरा
14.	नन्हू राम वगै. कंवर	61	0.364	0.016	टिकरा
15.	महेत्तर वगै. कंवर	62	0.364	0.016	टिकरा
16.	भोकलो व. जलसाय वगै. गोंड	80/1	4.548	0.614	टिकरा
17.	चैतराम व. बुडगा गोंड	80/2	0.146	0.032	टिकरा
18.	तेजराम व. कालाचन्द गाडा	84	0.624	0.048	खार
19.	संतराम व. हरिचन्द्र गाडा	85	0.534	0.041	खार
20.	चैतराम वगै. कंवर	94	0.449	0.044	बहला
21.	अमलसिंह वगै. कंवर	95	0.316	0.038	बहला
22.	रामेश्वर कंवर	96/6	0.255	0.064	बहला
23.	नन्हू राम वगै. कंवर	101	0.251	0.038	खार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	गुरवारू वगै. कंवर	103/1	0.049	0.012	खार
25.	बुधवारो कंवर	103/2	0.219	0.010	खार
26.	घसनों वगै. कंवर	103/5	0.332	0.038	खार
27.	गुरवारू वगै. कंवर	103/6	0.295	0.064	खार
28.	बैगा व. सलगू केवट	356	1.06	0.115	टिकरा
29.	लक्ष्मण कंवर	357/1	0.698	0.065	टिकरा
30.	पुष्पा/एस. एस. एक्का	357/2	0.698	0.065	टिकरा
31.	सुरेन्द्र सिंह वगै. सिक्ख	358	0.737	0.030	टिकरा
32.	चमरीन वगै. उरांव	359/1	1.712	0.067	टिकरा
33.	घासी वगै. उरांव	359/2	1.711	0.067	टिकरा
34.	मोहन/गाडाराय वगै. उरांव	361/1	0.202	0.006	टिकरा
35.	नीरजन श्रीराम वगै. ब्राम्हण	365/3	0.405	0.043	टिकरा
36.	मनबोध वगै. कवंर	369	0.299	0.021	खार
37.	हीरालाल उरांव	370	0.352	0.016	खार
38.	घासी वगै. उरांव	371/3	0.113	0.016	खार
39.	राजू वगै. उरांव	372	0.271	0.032	खार
40.	मोहन/गाडाराय वगै. उरांव	373/1	0.125	0.010	खार
41.	महेत्तर व. चमरा	373/6	0.04	0.010	खार
42.	मनबोध वगै. कंवर	374/1	6.03	0.110	खार
43.	करम सिंह वगै. कंवर	374/2	0.032	0.012	खार
44.	धनसाय वगै. कंवर	403	0.511	0.034	खार
45.	जुलिया वगै. कंवर	405/1	0.424	0.051	खार
46.	लम्बरसाय उरांव	405/2	0.393	0.041	खार
47.	इन्द्रपाल वगै. कंवर	406	0.571	0.112	खार
48.	मनबोध वगै. कंवर	407	0.417	0.067	खार
49.	कमला वगै. उरांव	408/1	0.062	0.006	खार
50.	सोहन व. गाडाराय उरांव	408/2	0.041	0.006	खार
51.	सोहन व. गाडाराय उरांव	408/3	0.093	0.008	खार
52.	कमला वगै. उरांव	408/7	0.032	0.012	खार
53.	सुखू वगै. उरांव	410/5	0.235	0.029	खार
54.	रविराम वगै. उरांव	410/6	0.263	0.019	खार
55.	राजू वगै. उरांव	414/4	0.713	0.016	बहला
56.	इन्द्रपाल वगै. कोल्ता	415	0.405	0.073	बहला
57.	घुराउ वगै. गाडा	482/2	0.688	0.108	खार टिकरा
58.	सुरेन्द्र सिंह वगै. सिक्ख	486/2	0.433	0.035	टिकरा
59.	इन्द्रपाल वगै. कोल्ता	496/2	9.163	0.172	टिकरा
	योग			2.929	

ग्राम पडकीपहरी, प. ह. नं. 34, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सदानंद तेली	73/2	0.315	0.008	बहला रवि
2.	चीनीराम वगै. तेली	73/3	0.157	0.004	बहला रवि
3.	दरसराम तेली	73/5	0.101	0.004	बहला रवि
4.	दरसराम तेली	73/6	0.158	0.004	बहला रवि
5.	नान्हू तेली	73/7	0.202	0.004	बहला रवि
6.	नान्हू तेली	73/8	0.157	0.004	बहला रवि
7.	सुनाउ तेली	73/9	0.101	0.008	बहला रवि
8.	ननकी मेली	73/11	0.101	0.008	बहला रवि
9.	चुन्नी जौ. हरिलाल कोष्टा रायगढ़	74/2	0.89	0.024	बहला रवि
10.	मानसिंह वगै. कंवर	75/2	0.379	0.028	बहला रवि
11.	सिदार वगै. गोंड	75/3	0.379	0.016	बहला रवि
12.	संतराम, अन्नतराम पि. मानसिंह	109	2.833	0.016	टिकरा
13.	करम सिंह पि. अन्नतराम वगै. झिगोल	110	0.534	0.016	टिकरा
	योग			0.144	

ग्राम सामारूमा, प. ह. नं. 34, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उपा टेकरी वाल सा. राची	14/5	2.023	0.130	टिकरा
2.	श्रीमती काना टकरी वाल जौ. प्रकाश अग्रवाल रांची.	14/6	2.023	0.077	टिकरा
3.	सत्यभांमा जेमा पुत्री श्याम कुमार वगै. रावत.	16/1	2.865	0.069	टिकरा
4.	मनोज कुमार पिता हरिराम मडवाडी	16/6	2.631	0.109	टिकरा
5.	राजू गुप्ता पि. रामकिशन सा. रायगढ़	49	4.504	0.162	टिकरा
6.	रूपेश्वर वगै. कोल्ता	111/2	2.141	0.065	बहला रवि
7.	हरिराम पि. सत्यनारायण अग्रवाल	111/4	7.280	0.093	टिकरा
8.	बुधराम पि. जगतराम कंवर पडकीपहरी	111/21	2.019	0.089	टिकरा
9.	बन्धन व. समारू मांझी पडकीपहरी	111/22	1.619	0.125	टिकरा
10.	पुरन व. पकलू भैना पडकीपहरी	111/26	1.619	0.097	टिकरा
11.	बुढलू व. दीबु भैना पडकीपहरी	111/27	1.619	0.089	टिकरा
12.	निराम पि. सुखीराम वगै. गाडा	111/24	1.619	0.020	टिकरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	प्ररूपोतम दास व. सरजू प्रधान	103/2	7.021	0.065	टिकरा
14.	सामुएल व. लण्डी	111/14	2.424	0.117	टिकरा
	योग			**1.307**	

ग्राम पूजीपथरा, प. ह. नं. 34, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पिललाल पि. चन्दन सिंह गोंड	40	2.019	0.024	टिकरा
2.	गोपाल व. तिलकराम गाडा	47	2.019	0.085	टिकरा
3.	निशांत सिह व. क़मरिसा गोंड	48	2.019	0.101	टिकरा
4.	ननकू व. उजल सिंह गोंड	49	2.019	0.053	टिकरा
	योग			**0.263**	

ग्राम तुमीडीह, प. ह. नं. 21, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का गाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	महादेव	18/11	1.21	0.032	टिकरा
2.	पंचराम	18/12	0.74	0.035	टिकरा
3.	विसाहू वगै.	18/13	0.202	0.016	टिकरा
4.	दिलबोध	18/14	0.202	0.016	टिकरा
5.	पंचराम	18/15	0.38	0.019	टिकरा
6.	महादेव	18/16	0.445	0.012	टिकरा
7.	आनंद सिंह वगै. मांझी	19/1	0.676	0.025	खार
8.	जागरो मांझी	19/2	0.338	0.025	खार
9.	अनेश राम व. साधुराम वगै. मांझी	21	1.466	0.038	खार
10.	बडाईक व. बनाउ मांझी	22/1	0.229	0.022	खार
11.	अमुना वगै. मांझी	22/2	0.136	0.016	खार
12.	बडाईक मांझी	22/4	0.108	0.022	खार
13.	कृष्णचन्द वगै. कोल्ता	109/1	1.821	0.144	टिकरा
14.	वैष्टम प्रसाद कोल्ता	111/3	0.77	0.064	टिकरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	परखित वगै. कोल्ता	112/1	0.805	0.004	टिकरा
16.	मुरली वगै. कोल्ता	114/1	1.53	0.105	टिकरा
17.	जगचरण वगै. कोल्ता	115/1	3.092	0.096	टिकरा
18.	मुरली वगै. कोल्ता	116/1	4.843	0.008	टिकरा
19.	अनिल व गोविन्द राम अग्रवाल	124/1	0.829	0.008	टिकरा
20.	प्रेम सिंह वगै. गोंड	125	1.559	0.145	टिकरा
21.	नलवा स्पंज आयरन तराईमाल	126/1	1.091	0.008	टिकरा
	योग			0.860	

ग्राम छर्राटांगर, प. ह. नं. 21, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लेटराम वगै. कंवर	834/2	1.275	0.240	टिकरा
2.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	836/4	3.456	0.109	टिकरा
3.	मुन्ना वगै. कंवर	929/11	0.446	0.028	टिकरा
4.	ठाकुर राम वगै. कंवर	940	0.632	0.032	खार
5.	बसतराम वगै. कंवर	941/1	0.247	0.011	खार
6.	सेतराम वगै. कंवर	941/2	0.186	0.011	खार
		948/1	0.607	0.022	खार
		949/1	0.49	0.006	खार
7.	रामचरण वगै. कंवर	948/2	0.413	0.032	खार
		949/2	0.134	0.006	खार
8.	ठाकुर राम व. भजराम कंवर	946	0.849	0.080	खार
		1168	1.615	0.173	खार
9.	बेदराम कंवर	1178/4	0.121	0.010	खार
10.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	1178/3	0.097	0.048	खार
11.	सनकुंवर वगै. कंवर	1178/1	0.312	0.048	खार
12.	लक्ष्मी कंवर	1178/2	0.154	0.030	खार
13.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	1178/5	0.38	0.064	खार
14.	भाकू लाल वगै. कंवर	1178/6	0.172	0.051	खार
15.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	1196/6	0.057	0.048	खार
16.	प्यारी वगै. कंवर	1196/3	0.777	0.035	खार
17.	पण्डरू वगै. कंवर	1196/2	0.409	0.096	खार
18.	सनकुंवर वगै. कंवर	1196/1	1.659	0.092	खार
19.	ईश्वर वगै. कंवर	1204/1	0.243	0.016	खार
20.	ठाकुर राम वगै. कंवर	1203	0.336	0.072	खार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	बलराम वगै. बंजारा	1200	0.117	0.016	खार
22.	त्रिलोचन वगै. कंवर	1198	0.462	0.028	खार
23.	बलराम व. रामेश्वर वगै. कंवर	1144	0.19	0.008	खार
24.	खूलो वगै. कंवर	1135/2	0.833	0.040	खार
25.	त्रिलोचन गोंड	1135/3	0.364	0.040	खार
26.	निरो वगै. कंवर	1136	0.194	0.029	बहला रवि
27.	सुमित राम कंवर	1129	0.117	0.016	बहला रवि
28.	जुडान सिंह वगै. कंवर	1096/3	0.331	0.048	खार
		1094/4	3.013	0.068	खार
29.	हरिहर कंवर	1094/14	0.769	0.057	खार
30.	नेहरू लाल व. रेतराम मांझी	1094/12	0.144	0.026	खार
31.	रामप्रसाद व. ठिनी कंवर	1094/7	0.283	0.032	खार
32.	खूलो वगै. कंवर	1094/8	0.121	0.016	खार
33.	खूलो वगै. कवंर	1086/6	0.672	0.089	खार
34.	जुडान सिंह वगै. कंवर	1094/2	2.363	0.112	खार
35.	भगतराम कंवर	1128	0.137	0.044	बहला रवि
	योग			**2.029**	

ग्राम राबो, प. ह. नं. 34, रा. नि. मं. तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लक्ष्मण पि. चन्दन सिंह	40/6	0.907	0.061	टिकरा
2.	भारत लाल पि. घासी लाल	40/1	6.730	0.190	टिकरा
3.	चन्द्रिका प्रसाद घसिया	140/2	1.554	0.125	टिकरा
4.	आसप कुमार	144/1	1.554	0.061	टिकरा
5.	आसप कुमार	144/2	1.555	0.061	टिकरा
6.	महेश राम कंवर	145/1	1.555	0.045	टिकरा
7.	महेश राम कंवर	145/2	1.556	0.030	टिकरा
8.	सुखराम कंवर	145/3	1.534	0.030	टिकरा
	योग			**0.603**	

ग्राम डोकरबुडा, प. ह. नं. 21, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	191	0.324	0.016	टिकरा
2.	रामलाल वगै. कंवर	192	1.461	0.064	टिकरा
3.	लीलाराम वगै. कंवर	196/1	1.402	0.086	टिकरा
4.	भोगीलाल वगै. कंवर	196/2	0.534	0.038	टिकरा
5.	फूलसिंह कंवर	196/4	0.405	0.039	टिकरा
6.	गोपी कंवर	196/5	2.65	0.080	टिकरा
7.	राधेश्याम व. शंकरलाल वगै. अग्रवाल रायगढ.	197/1	1.135	0.080	टिकरा
8.	हलधर वगै. कंवर	201/1	0.826	0.036	टिकरा
9.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	201/2	0.829	0.040	टिकरा
10.	ललित कुमार वगै. कंवर	201/3	0.829	0.052	टिकरा
11.	संजय कुमार पि. मागेलाल अग्रवाल	202	2.407	0.117	टिकरा
12.	गोपी कंवर	196/6	0.404	0.032	खार
13.	चक्रधर वगै. कंवर	217	6.454	0.198	टिकरा
14.	हलधर वगै. कंवर	231/1	1.712	0.076	टिकरा
15.	ललित कुमार वगै. कंवर	231/2	1.712	0.080	टिकरा
16.	कान्ताबाई पति लखीराम सिधि	233/2	2.616	0.070	टिकरा
17.	अशोक वगै. अग्रवाल	233/3	0.603	0.041	टिकरा
18.	लखीराम व. नचनमल सिधि	233/4	0.602	0.044	टिकरा
19.	लखीराम व. नचनमल सिधि	233/5	0.405	0.048	टिकरा
20.	लखीराम व. नचनमल सिधि	233/6	0.197	0.016	टिकरा
21.	सुधनी बाई वगै. कंवर	238	0.259	0.032	बहला
22.	रामदास पनिका	239/1	0.263	0.004	टिकरा
23.	सुखदास वगै. पनिका	203	5.813	0.141	टिकरा
24.	श्रीकृष्ण व. लक्ष्मीनारायण	204/2	1.412	0.052	टिकरा
25.	विजय कुमार, रामकुमार पि. नेनीराम ब्राम्हण.	199/1	1.626	0.027	टिकरा
26.	रामचन्द्र अग्रवाल	199/2	0.405	0.027	टिकरा
27.	रामप्रसाद व. लखीराम अग्रवाल खरासेया.	199/4	0.405	0.027	टिकरा
28.	बजरंगलाल पि. देवलाल अग्रवाल रायगढ.	199/5	0.857	0.027	टिकरा
	योग			**1.590**	

राज्य शासन के आदेश

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2006

क्रमांक एफ-3-21/2005/12.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उपनियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र (जिस पर स्वीकृत खनि पट्टा व्यपगत होना घोषित किया गया है) इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के तीन दिन के पश्चात् खनिज लौह अयस्क को खनिज रियायत के पुनः अनुदान के लिए उपलब्ध रहेगा.

अनुसूची

क्र. (1)	ग्राम (2)	प. ह. नं. (3)	तहसील (4)	वन कंपार्टमेंट नंबर (पुराना) (5)	रकबा (एकड़ में) (6)	अन्य विवरण (7)
1.	बैलाडीला	वनभूमि	दंतेवाड़ा	451	158.8	खनिज रियायत के पुनः अनुदान के लिये अधिसूचित क्षेत्र के अभिलेख/मानचित्र की प्रतियां वनमण्डलाधिकारी कार्यालय दंतेवाड़ा से प्राप्त की जा सकती है.
				454	358.0	
				455	460.0	
				469	285.2	
				470	418.4	
				471	788.0	
				472	274.4	
				452	389.6	
				453	754.0	
				456	620.0	
				444/446	47.2	
				457	698.0	
				467	647.2	
				466	310.0	
				475	120.0	
				445	239.2	
				458	364.4	
				459	278.8	
				460	454.0	
				461	197.6	
				462	173.6	
				463	100.0	
				447	29.4	
				465	5.2	
				योग	8171.00 एकड़	
					3308.4 हेक्टर	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.